विषय-सूची

क्र. सं.	तारीख	विषय	पृष्ठ संख्या
	आमुख		i-ii
1.	16 नवम्बर, 1990	मंत्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव	1
2.	7 जनवरी, 1991	माले में हुए पांचवें सार्क शिखर सम्मेलन के बारे में वक्तव्य	14
3.	22 फरवरी, 1991	अमरीकी विमानों को ईंधन भरने के लिए रुकने के बारे में निर्णय	26
4.	25 फरवरी, 1991	खाड़ी में व्याप्त स्थिति के बारे में वक्तव्य	33
5.	25 फरवरी, 1991	देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाएं	36
6.	6 मार्च, 1991	देश में संवैधानिक संकट	42

मंत्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव

16 नवम्बर, 1990

मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद में अपना विश्वास अभिव्यक्त करती है।"

मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मंत्रिमंडल के न बनने से हमारे कई मित्रों को बड़ा सदमा पहुंचा है और उनकी बड़ी इच्छा है कि वे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के चेहरे जल्दी-से-जल्दी देख लें। मिनिस्टरों की तस्वीर देखते-देखते आदत इतनी बिगड़ गई है कि बिना उन्हें देखे उनको संसद निरर्थक मालूम होती है। उन्होंने हमसे कारण जानना चाहा। कई कारण हैं।

बड़ी विनम्रता से यह काम हमने संभाला है और मित्रों ने बार-बार यह आवाज उठायी है कि संसद में हमारा कोई बहुमत नहीं है। मैं उनको इस बात के लिए कोई मौका नहीं देना चाहता था कि उनकी इच्छा के बिना या संसद की इच्छा के बिना मैं बड़े पैमाने पर मंत्रिमण्डल का विस्तार करूं। इसलिए एक ही कारण था कि संसद से विश्वास प्राप्त करने के बाद तुरन्त मंत्रिमण्डल का विस्तार किया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह कारण उनकी समझ में पहले ही आ जाना चाहिए था। लेकिन यह कारण अगर उनकी समझ में नहीं आता तो जैसे एक खास तरह की चिड़िया होती है, जिसे सूरज की रोशनी में कुछ दिखायी नहीं देता तो इसमें सूरज की रोशनी का कोई दोष नहीं है, चिड़िया की आंख का दोष है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि हम आज कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, देश की हालत बुरी है। एक ओर नहीं, चारों ओर हालत बुरी है। मैं यहां किसी के ऊपर आक्षेप लगाना नहीं चाहता।

मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता और मैं इस समय कोई लम्बा-चौड़ा भाषण भी नहीं देना चाहता, सिर्फ जो दो-एक सवाल उठाए जाते हैं, केवल उन्हीं का जवाब देना चाहता हूं। सवाल है कि क्या प्यूपिल का मैन्डेट हमें प्राप्त है या नहीं, लोगों ने जनसमर्थन दिया है या नहीं। यह सवाल अक्सर उठाया जाता है और यह बहुत जायज सवाल है। यह सवाल बहुत उचित सवाल है। जब हम पिछले चुनावों में जीते थे, जनता ने हमें सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था, उस समर्थन में हमारे माननीय मित्र आडवाणी जी भी थे, सोमनाथ चटर्जी जी भी थे, इन्द्रजीत गुप्त जी भी थे, उस समय हमने कहा था कि हम कांग्रेस के विरोध में सरकार बनाएंगे। उस समय जो घोषणा-पत्र जारी किया गया था आडवाणी जी ने अपने घोषणा-पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम धारा 370 के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। उसी तरह से आडवाणी जी ने कुछ दूसरे सवाल भी उठाए थे, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। हमने भी कहा था कि कुछ सवालों पर हम भी कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी वामपंथी पार्टियों के लोगों ने भी कहा था कि कुछ बिन्दुओं पर हम भी कोई समझौता नहीं करेंगे। उस समय हमने यह भी विश्वास दिलाया था कि हम पांच वर्ष तक उस सरकार को चलाएंगे। यह

भी जन-समर्थन पाने का एक आधार था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्रों से यह जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार को गिराने में क्या मेरा कोई हाथ था?

अभी हमारे मित्र जार्ज फर्नान्डीज साहब मुझे याद दिला रहे हैं कि हमने सरकार के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन हमने उस सरकार के खिलाफ वोट दिया था जो सरकार निष्प्राण थी, उस दिन से यह निष्प्राण हो गई थी जिस दिन से आडवाणी जी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। जनतन्त्र के इतिहास में, संसदीय जनतन्त्र में आप मुझे केवल एक ही उदाहरण बता दीजिए कि कोई भी प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से बहुमत का समर्थन खोने के बाद सदन में इस तरह से कुर्सी से चिपका रहा हो। वहां राजनैतिक नैतिकता का सवाल उठाया जाता है और मुझे कहा जा रहा है कि मैंने उस सरकार को गिराया था। मैं उस समय के प्रधानमंत्री के विरोध में था, इस बात को मैंने कभी नहीं छिपाया, लेकिन सरकार को गिराने में मेरा कोई हाथ नहीं था। सरकार अगर गिरी तो उन दो मित्रों के आपसी मतभेदों की वजह से गिरी, जो आज साथ-साथ बैठे हुए हैं। यदि पिछली सरकार चल रही थी तो उनके सहयोग की वजह से चल रही थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो इन सवालों को यहां उठाना नहीं चाहता था, अगर हमारे मित्र इन सवालों का जवाब चाहते थे तो सुनने के लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए क्योंकि मेरी नजर में ये सवाल बुनियादी नहीं हैं। बुनियादी सवाल है कि देश के सामने चुनौतियां क्या हैं, सवाल यह है कि देश किस हालत में है और जो लोग बड़े जोरों से वाह-वाह के नारे लगा रहे हैं, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, जिस तरह से देश को 11 महीने तक चलाया गया है, जिस हालत में अर्थव्यवस्था को छोड़ा गया है अध्यक्ष महोदय, मैं आज यह कहने के लिए सदन में स्वतन्त्र नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर चाहूंगा सारी पार्टियों के नेताओं से कि उन सारी परिस्थितियों को मैं आपके सामने रखने के लिए तैयार हूं जिन परिस्थितियों में देश को छोड़ा गया है। अगर अध्यक्ष महोदय, यह सदन तैयार हो और अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं उन सारी परिस्थितियों को सदन के सामने रखने को तैयार हूं। इन छह दिनों में सरकार की हालत, देश की हालत वहां नहीं पहुंची है, जो हालत हमको विरासत में मिली है। मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता हूं। देश की अर्थव्यवस्था को आज विनाश के कगार पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि सारी कोशिशों के बावजूद यह देश टूटेगा नहीं। हजारों वर्षों की तहजीबोतमददुन का यह देश, हजारों करोड़ों लोगों की जन-शक्ति है, इस देश को बचाने के लिए, यह देश बचेगा। पिछले 11 महीनों में दुनिया के सामने क्या संकेत दिए गए, क्या नीतियां रखी गयीं दुनिया के सामने, इन सबके कारण आज देश के लोगों के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, देश के स्थायित्व के ऊपर, देश की एकता और अखण्डता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है और उस प्रश्न चिन्ह को समाप्त करने का एक ही तरीका है – आज देश के करोड़ों लोगों का हम सहयोग लें और करोड़ो लोगों में तथा भारत की अर्थव्यवस्था में वह ताकत है कि बिगड़ी हुई स्थिति को हम बना सकते हैं। सारे देशवासियों से मैं यह कहना चाहूंगा कि कठिनाई का समय है, चुनौती का समय है, लेकिन हमें उनका सहयोग चाहिए, उनकी शक्ति चाहिए। मैं सारी पार्टियों के नेताओं से आपके जरिये अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि आप स्वयं देखें – मैं कुछ बातें कहने के लिए स्वतन्त्र

हूं, लेकिन जितनी बातें आपके माध्यम से कही जा सकती हैं, मैं कहने के लिए तैयार हूं और जो बातें मैं आज कह रहा हूं, यदि उनमें एक प्रतिशत भी अतिश्योक्ति हो, तो न केवल प्रधानमंत्री के पद से, बल्कि इस सदन की सदस्यता से हटने के लिए तैयार हूं।

मुझे इस बारे में जानकारी थी और इस जानकारी को मैं आज, यहां नहीं बता रहा हूं, आडवाणी जी बैठे हुए हैं, कई महीनों से मैं इनसे कह रहा हूं – आडवाणी जी, जिस रास्ते पर देश को ले जा रहे हो, वह रास्ता विनाश का रास्ता है। उस समय मैंने वामपंथी पार्टी के बड़े नेताओं से कहा कि हम बरबादी की ओर, विनाश की ओर जा रहे हैं। उनको रोकने के लिए हमने कोशिश की।

यह सही है कि हमने कांग्रेस के लोगों का समर्थन लिया और मुझे ऐसा करने में कोई ग्लानि नहीं है। मैंने समर्थन लिया है और वही समर्थन मैं चाहता हूं और मित्रों से भी, जो आज यहां शेम-शेम कह रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह सवाल किसी व्यक्ति के गौरव का नहीं है। यह सवाल किसी व्यक्ति के अभिमान का नहीं है। यह सवाल देश को बचाने का है और इस देश को बचाने के सवाल पर हम सबका एका चाहते हैं, सबकी ताकत चाहते हैं, न केवल सदस्यों से, बल्कि सारे देशवासियों से।

आपके माध्यम से, मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि एक दिन इस देश को बचाने के लिए आडवाणी जी आपके लिए देवता थे, आज आडवाणी आपके लिए राक्षस हो गए हैं, तो यह राजनीति आपकी है, मेरी नहीं। आज ये वामपंथी दल के लोग जो ऐसा समझते हैं कि उन्हें सर्टिफिकेट देने का अधिकार मिल गया है – जिसको चाहे प्रगतिशील कह दें, जिसको चाहे प्रतिक्रियावादी कह दें, मुझे इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता के साथ यही कहना चाहता हूं कि मैंने भी इस देश की राजनीति में कुछ समय बिताया है। इन बड़े बहादुरों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मेरे बारे में कुछ कहने से पहले वे जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें और सारे वामपंथी नेताओं, खासतौर से उन नेताओं को जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में काम किया है, जिनके पीछे एक इतिहास है, उस इतिहास के नाते मैं, उनका आदर करता हूं और आज भी मैं समझता हूं कि उनको शायद परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है।

जिस हालात में आज देश पहुंच गया है इसकी उनको जानकारी नहीं है। मैं चाहूंगा कि वे स्वयं जानकारी करें और जानकारी करके यह सोचें कि देश को बचाने के लिए सबके सहयोग और समर्थन की जरूरत है या नहीं। मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा, कई बार कहा जाता है, इधर से नारे लगाए जाते हैं कि प्रधान मंत्री कौन है? आज अभी आपको मालूम नहीं है, कुछ दिनों में मालूम हो जाएगा कि प्रधान मंत्री कौन है, ज्यादा अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा।

प्रधान मंत्री कोई व्यक्ति का सवाल नहीं है, प्रधान मंत्री वह है जिसको इस संसद का समर्थन प्राप्त है, प्रधान मंत्री वह है जिसको संविधान के जरिए देश ने स्वीकार किया है। इसलिए प्रधान मंत्री की चिन्ता मत कीजिए, देश के भविष्य की चिन्ता कीजिए, इस देश की बिगड़ी हुई हालत को बनाने की चिन्ता कीजिए। मैं एक ही बात कहूंगा कि यद्यपि हालत खराब है लेकिन

फिर भी हमारे देश में एक बड़ी शक्ति है। हमारे किसानों, मजदूरों के हाथों के पौरुष से इस देश को फिर से बनाया जा सकता है। हमारे देश के करोड़ों लोगों के मन में आज भी देश के लिए गौरव और राष्ट्र प्रेम है, मैं उनका भी सहयोग चाहूंगा। मैं उन लोगों में से हूं जो विश्वास करते हैं कि देश को बचाने के लिए हमको किसी का सहारा चाहिए, हमें देश के लोगों की शक्ति चाहिए। इसी कारण हमने यह काम शुरू किया है। मुझे विश्वास है इस बड़े काम में हमें सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा। किसी को चुनौती देने के लिए नहीं, केवल वास्तविकता की जानकारी के लिए मैं केवल एक ही बात दोहराना चाहता हूं कि भाषण देते समय एक बात का ध्यान रखें, कहीं मजबूर होकर मुझे ऐसी बातें न कहनी पड़ें जहां फिर आप लोगों के बीच में भाषण देने के लायक न रहें। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस पर स्वयं विचार करें। मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। अगर आप चाहते हैं कि देश की वास्तविक स्थिति देश के सामने आए तो आप अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लें और देश के प्रधान मंत्री के नाते मैं आपके सामने वे सारे तथ्य रखना चाहता हूं जिनके आधार पर मैंने इस सरकार का विरोध किया है और जिन तथ्यों के आधार पर मैंने देश की सारी ताकतों के साथ एका किया है।

देश को नई शक्ति देने के लिए, एक नई प्रेरणा देने के लिए एक विश्वास उत्साह देने के लिए और मुझे विश्वास है कि जिन लोगों को देश का भविष्य प्यारा है, जिन लोगों को देश की अस्मिता में, गौरव में आज विश्वास है वे लोग हमारा साथ देंगे। आज जरूरत झगड़े की नहीं है, आपसी सद्भाव की है। भाई-भाई का खून न बहाए, एक-एक आदमी की जिन्दगी प्यारी है, एक आदमी भी यदि मरता है तो हिन्दुस्तान का कोई बेटा या बेटी मरती है। मैं चाहूंगा आज साम्प्रदायिकता के सवाल पर, जात-बिरादरी के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर हमको एकमत होकर एक ऐसी राह ढूंढनी चाहिए जिससे दुखी दिलों पर मरहम लगा सकें, एक नई ताकत पैदा कर सकें और नया देश बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह सदन मेरे प्रस्ताव का समर्थन करे।

मुझे इस सारे वाद-विवाद को सुन दुख हुआ है। मैं अपने मित्र श्री साठे के भाषण के बारे में एक भी शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि उन्होंने हमें अपना समर्थन दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि सभी रंजिशों और शिकवों के बावजूद मेरे भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) और भारतीय साम्यवादी दल के मित्रों ने वाद-विवाद का स्तर उठाया है। मैं कटु दोषारोपण पर गौर नहीं करूंगा, न ही मैं उनका उत्तर देना पसंद करूंगा। लेकिन, निश्चित रूप से उन्होंने एक बहुत सार्थक प्रश्न किया है। इस सरकार का क्या कार्यक्रम है? या वे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर हम आने वाले दिनों में राष्ट्र को चलाएंगे? आज सुबह अपने भाषण के आरम्भ में ही मैंने कहा था कि हमें व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करने चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि समय बहुत खराब आ गया है, हम अपने इतिहास के संकटपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। मैं बदनीयती का शिकार नहीं होना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि अपनी सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता और हमारे लोगों की क्षमता से हम मिलजुलकर और परिश्रम से सभी परेशानियों से पार पा लेंगे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय हमें समझौते के क्षेत्रों की तलाश करनी होगी न कि टकराव और विरोध की बात करनी है। यह बात उन सभी देशों के मामले में सत्य है जो गरीबी, फटेहाली,

दरिद्रता और बीमारी से लड़ रहे हैं। यह बात सम्पूर्ण विश्व के लिए भी सत्य है और इस उप-महाद्वीप पर तो खरी उतरती है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि इस समय हमें विशेष मुद्दों पर मिलकर काम करने के लिए सहमत होने की कोशिश करनी चाहिए।

मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने मुझसे पूछा है कि चुनाव घोषणा-पत्र क्या होगा। मैं सभी राजनैतिक दलों के चुनाव घोषणा-पत्रों की बात नहीं करना चाहता हूं। क्या आज हम तीन, चार या पांच मुद्दों पर सहमत नहीं हो सकते, जिससे हम यह कह सकें कि हम स्थिति को सुधारने के लिए मिलजुलकर काम करेंगे? उसके लिए इस देश में एक नया राजनैतिक माहौल पैदा करना होगा और इस राजनैतिक माहौल की पहल एक दूसरे की समस्याओं को समझकर, एक दूसरे की आकांक्षाओं को समझकर की जा सकती है। नाम लेने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूं कि कभी-कभी गर्मागर्मी में हम आपे से बाहर हो जाते हैं और दूसरों पर आक्षेप करने लगते हैं और मुझे भी इस बात का खेद है कि इस वाद-विवाद के दौरान मैं भी एक या दो बार आपे से बाहर हुआ। लेकिन, जब यह स्थिति प्रत्येक दिन मेरे सामने आती है तो इस कुर्सी पर बैठकर मैं गुस्सा भी नहीं हो सकता हूं क्योंकि मुझे प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग, समर्थन चाहिए। श्री सोमनाथ चटर्जी, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने राजनैतिक दर्शन का बखान करूं तो मैं कहूंगा कि मैं एक प्रगतिशील व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक रूढ़िवादी व्यक्ति हूं और एक रूढ़िवादी व्यक्ति होने के नाते मैं हर दिन नहीं बदलता हूं। मेरा दर्शन वही है जो मेरे मित्र श्री चित्त बसु ने मुझे युवा तुर्क सम्बोधित करके कहा है। इस देश के समक्ष और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारा समाज सीमित संसाधन वाला है। यदि संसाधन सीमित हैं, तो हमें फैसला करना होगा कि हमें अपने संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करना है। हमें आकलन करना होगा कि हमारी परिसम्पत्ति कितनी है, हमारी ताकत कितनी है, प्रकृति ने हमें एक उपजाऊ भूमि दी है, एक अच्छी जलवायु प्रदान की है, इस देश में सभी प्रकार के फल और फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, लगभग सभी खनिज इस भूमि में मिलते हैं और इसके अतिरिक्त इस देश में 85 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनके पास वह शक्ति है जिससे इस देश को समृद्धि और उन्नति के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। विगत में हमारी क्या खामियां रही हैं? हम इन लोगों को, दुर्भाग्यशाली लोगों को जो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अधिक उत्पादन करने के लिए, उनकी शक्ति का उपयोग करते हुए अवसर उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, एक लोकतान्त्रिक समाज में हम उन्हें कार्य करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। हमें उनमें इच्छा शक्ति पैदा करनी हे और यह इच्छा शक्ति हम कैसे पैदा करेंगे?

वह इच्छा शक्ति तो यह आश्वासन देने से ही पैदा या प्रेरित की जा सकती है कि जिस चीज का भी वे उत्पादन करते हैं, वह कुछ ही चुनिन्दा लोगों के वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए ही नहीं होगी बल्कि हमारे लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होगी। अत:, निवेश उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जो हमारे लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके और यह निवेश हमें प्रत्येक व्यक्ति को आधार मानकर करना पड़ेगा। जब मैं व्यक्तिपरक निवेश की बात करता हूं, तो अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यत: इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चा आज की ताकत और कल की आशा है। जो भी बच्चा आज पैदा

होता है उसे पूरा अधिकार है कि उसे समाज से स्वच्छ पीने का पानी मिले, स्वस्थ नागरिक बनने के लिए आवश्यक भोजन मिले, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिले और जब वह 18 वर्ष का वयस्क नागरिक हो जाए तो उससे जात-पात और धर्म का भेदभाव न किया जाए। यदि आप इन पांच बातों को हमारा चुनाव घोषणा-पत्र मान लें, हमारा ध्येय, लक्ष्य समझें तो क्या इस पर इस सभा में कोई मतभेद है? इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। आप इस पर अमल क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन, यदि आप इन सिद्धान्तों पर काम करते हैं, तो हमें आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या के प्रति अपने रवैये में कई परिवर्तन करने पड़ेंगें और अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि यदि संसाधन कम हैं और यदि देश गरीब है, तो समाज के प्रत्येक वर्ग को इस गरीबी में साझेदार होना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता है कि जो पसीना बहाते हैं, हमारे किसान हैं, हमारे खेतों और कारखानों के कामगार हैं, उन्हें हमेशा ही त्याग करने के लिए कहते रहें। पहले 4 दशकों से हमारी आजादी मिलने के बाद से हम उन्हें त्याग करने के लिए कहते आ रहे हैं ऐसा हम कब तक कहते रहेंगे? उन्हें इस बात का आश्वासन देना पड़ेगा कि इस गरीबी में वे लोग भी भागीदार होंगे, जिन्हें समाज में विशेष दर्जा हासिल है। इसलिए मैं यह अपील उन लोगों से भी करूंगा जो अमीर हैं, विशेष दर्जा रखते हैं। मेरे मित्र श्री ए.के. राय ने मुझे बताया कि वे मेरे साथ बहुत सहयोग करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यदि वे मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें लोगों को, हमारे गरीब वर्ग को प्रसन्न और समृद्ध बनाने के लिए कुछ त्याग करना सीखना चाहिए। यह करना इसके लिए बहुत जरूरी है।

इस सन्दर्भ में हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। श्रीमती गीता मुखर्जी ने मुझसे पूछा, "क्या आप औद्योगिक नीति संशोधित कर रहे हैं"? क्या पिछली सरकार ने कोई औद्योगिक नीति अपनाई थी? कुछ खुलासा तो किया गया था। मुझे उस पर कुछ आपत्ति थी। सोमनाथ जी, मैं समझता हूं आपको भी ये आपत्तियां थीं। ये आपत्तियां किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं थीं। मैं इस सम्बन्ध में किसी भी चीज को तरजीह नहीं देता हूं। मेरा कोई पूर्वाग्रह भी नहीं है। लेकिन, मैं समझता हूं कि इस देश में हम यह आशा नहीं कर सकते कि बाहरी ताकतों से पार पा लेंगे। मैं नहीं कहता कि हमें बाहर से सहायता नहीं लेनी चाहिए। आज के संसार में हमें बाहर की सहायता और समर्थन पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। कुछ पेचीदा किस्म के क्षेत्रों में हमें नई प्रौद्योगिकी, आधुनिक प्रौद्योगिकी का सहारा लेना ही पड़ेगा और हमें इन क्षेत्रों को उन चीजों के लिए खोलना पड़ेगा, जो अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। लेकिन, क्या आप हमारे सारे क्षेत्र अधिक सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुएं, आईसक्रीम का उत्पादन करने के लिए खोल रहे हैं?

कृपया इस बारे में गौर कीजिए कि पिछले अनेक वर्षों के दौरान परस्पर सहयोग के अनुबन्ध हुए और जो इन कुछ महीनों के दौरान हुए जब हम इस देश पर शासन कर रहे थे: उदारीकरण के प्रति मुझे आपत्ति नहीं है। हर जगह यह प्रश्न किया जा रहा है। अगर उदारीकरण से अभिप्राय लाल फीताशाही कम होना है, यदि इसका अर्थ रुकावटों, भ्रष्टाचार का न होना है, नौकरशाही द्वारा हस्तक्षेप न करना है तो यह उदारीकरण अति आवश्यक है। अगर उदारता का यह मतलब है कि आडम्बरपूर्ण जीविका के लिए दुर्लभ संसाधनों को अपव्यय

किया जाए तो मैं विनयपूर्वक यही अनुरोध करूंगा कि हम यह वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। मुझे आशा है कि हम इन प्रतिबन्धों को समझेंगे।

मैं समझता हूं कि आर्थिक मोर्चे पर जो गरीब हैं और विशेषकर वे वर्ग जो उपेक्षित रहे हैं, अभी भी पीड़ित और शोषित हैं, हमें उन पर विशेष ध्यान देना है। मैं जानता हूं कि इस सम्बन्ध में अनेक सन्देह और आशंकाएं हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश को आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं कोई भी समझौता कर सकता हूं लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिष्ठा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। पिछड़े और शोषित वर्ग द्वारा इस समाज में एक प्रतिष्ठित जीवन पाने की उनकी इच्छा पर कोई समझौता नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक अल्पसंख्यकों का सम्बन्ध है, विश्व भर में अल्पसंख्यक आशंकित हैं। जो लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच कोई अन्तर नहीं होना चाहिए, मैं उनसे पूछता हूं कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक सम्बन्धी खण्ड संविधान में क्यों रखा? धार्मिक अथवा जातीय या भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक विश्वभर में तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि उन्हें आशंका और डर होता है। अगर हम उनके कथन का शब्दश: मतलब लें तो हम सदैव एक गलत राजनैतिक निर्णय पर पहुंचेंगे। हमें उनकी आकांक्षाओं को समझना चाहिए, उनकी आशंका को समझना चाहिए, हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि उनका एक मनोविज्ञान है इस मन:स्थिति के तहत वे यह महसूस करते हैं कि वे अपनी सुरक्षा, समृद्धि और अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। देश, राज्य और इससे भी अधिक बहुसंख्यक समुदाय का यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनमें से यह डर समाप्त हो जाए। हमें यह करना होगा।

मैं कहता हूं कि धर्म के मामले में हर व्यक्ति स्वतन्त्र है। धर्म-निरपेक्षता का यह अभिप्राय नहीं है कि हम धर्म की उपेक्षा करें। धर्म मानव को भगवान से मिलाने का साधन है। जब तक धर्म का उपयोग मानव और भगवान के मेल के लिए धार्मिक उद्देश्यों के रूप में होता है, हमें इस बारे में झगड़ना नहीं चाहिए।

हमें इस देश में अपनी धार्मिक परम्परा पर गर्व होना चाहिए। मैं एक हिन्दू हूं। मुझे राम, कृष्ण, वेदों और हमारी आर्य सभ्यता पर गर्व है। लेकिन इसके साथ ही मुझे इस देश में आए अन्य धर्मों द्वारा किए गए योगदान पर भी गर्व है। इस सम्बन्ध में हिन्दू धर्म अन्य धर्मों से आगे है क्योंकि हमारे अन्दर स्नेह और सहनशीलता है। अगर यह सहनशीलता और स्नेह समाप्त हो जाते हैं तो हिन्दू धर्म अपनी शक्ति और अन्य सभी धर्मों पर श्रेष्ठता खो देगा।

मैं मन्दिर का निर्माण करने के विरुद्ध नहीं हूं। मैं किसी विवाद में नहीं जाना चाहता। लेकिन यह एक भावनात्मक मुद्दा है। इस भवन का निर्माण होना चाहिए। राम के जन्म-स्थान पर एक भव्य, सुन्दर तथा यथासम्भव बड़ा एक मन्दिर होना चाहिए। लेकिन मैं अपने मित्रों से अपील करता हूं कि वे मन्दिर बनाने के जोश में मस्जिद को गिराने का प्रयास न करें क्योंकि आपकी इच्छानुसार मन्दिर बनाने में कोई रुकावट नहीं आएगी और हम सब इसमें योगदान करेंगे। आडवाणी जी, अगर कुछ मिनटों के बाद मैं प्रधानमंत्री बना रहा तो मैं आपको

विश्वास दिलाता हूं कि मैं मंदिर-निर्माण में हर तरह से सहयोग दूंगा। लेकिन सिर्फ एक बात है कि आप मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त कीजिए कि उनके आत्म गौरव और आत्म-सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी।

*** *** ***1

मैं जानता हूं कि इस सभा तथा दूसरी सभा में सदस्य अनेक बार एक उग्र रुख अपना लेते हैं। लेकिन संसदीय लोकतन्त्र का मतलब है वार्ता, बातचीत और एक दूसरे को किसी समझौते पर पहुंचने के लिए समझाना। यह संसदीय लोकतन्त्र का सार है।

मेरे मित्र सोमनाथ जी ने मुझसे पूछा कि आडवाणी जी अथवा भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा क्या समझौता है। सामने बैठी महिला सदस्या के विरोध के बावजूद मैं पुन: दोहराता हूं कि केवल यही सहमति हुई है कि मैं आडवाणी जी को एक देशभक्त मानता हूं। मैं इस देश के सामाजिक और राजनैतिक जीवन पर उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। मैं श्री आडवाणी और उनके साथियों से अपील करता रहूंगा और मैं उनके निवास पर भी गया हूं और उन्हें बताया है कि देश टकराव और एक दूसरे से लड़ने में लिप्त नहीं हो सकता। अयोध्या में जो कुछ हुआ उस पर मुझे खेद है। कोई भी यह नहीं चाहता कि एक भी आदमी इस प्रकार मरे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस देश में यदि एक भी पुरुष अथवा महिला की मृत्यु होती है तो मैं महसूस करता हूं कि भारत माता के एक सपूत अथवा सुपुत्री की मृत्यु हुई है। मृत्यु तो मृत्यु ही है चाहे वह दंगाइयों के चाकू से हो अथवा पुलिस की गोली से। मृत्यु में तो कोई अन्तर नहीं है। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि दंगों में हुई मृत्यु गलत है और पुलिस के हाथों से हुई मृत्यु सही है। लेकिन कभी-कभी सरकार को वह काम भी करने पड़ते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि श्री मुलायम सिंह को यह कार्य और कड़ाई से करने चाहिए थे। अध्यक्ष महोदय, यदि लाखों जानें बचाने अथवा लाखों व्यक्तियों को सड़कों पर एक-दूसरे को मारने से रोकने के लिए कोई आदेश देने पड़ते हैं अथवा कार्यवाही करनी पड़ती है तो ऐसा दु:ख के साथ ही किया जाता है और यदि माननीय महिला सदस्य यह समझती हैं कि मेरे खेद प्रकट करने से कुछ फर्क पड़ता है तो मैं खेद प्रकट करता हूं कि जो कुछ हुआ उसे रोका जाना चाहिए था। लेकिन यह दायित्व केवल सरकार का नहीं है बल्कि सभी सम्बन्धितों को भी अपना दायित्व समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर मैं झूठी शान नहीं दिखाना चाहता हूं। चाहे मैं क, ख, ग किसी से भी मिलूं मैं झूठी शान नहीं दिखाना चाहता हूं। जो भी शांति बहाल करने में सहायक हो सकता है मैं उसकी सहायता लेने के लिए तैयार हूं। यदि मुस्लिम समुदाय उस स्थान पर, जहां मस्जिद बनाने के लिए सहमत हो जाता है तो मुझे खुशी होगी। लेकिन यह आम सहमति से होना चाहिए। यह परस्पर सहमति से होना चाहिए। यह उन पर लादा नहीं जाना चाहिए। मैं मुस्लिम और हिन्दू समुदाय के धार्मिक नेताओं से दुबारा अपील करता हूं कि वे साथ बैठकर बातचीत करें और इसका समाधान करने का प्रयास करें। हमें इस विषय को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अपितु यह माननीय मुद्दा है। यह ऐसा मुद्दा है जिसका लम्बे समय तक इतिहास में सदैव स्थान रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। कृपया धर्म के नाम पर एक-दूसरे को नहीं मारिए, यह धर्म के विरुद्ध है चाहे वह इस्लाम धर्म हो, हिन्दू धर्म हो, ईसाई धर्म हो अथवा अन्य कोई धर्म हो। इसीलिए मैंने यह कहा है कि परम्पराओं का तब तक सम्मान किया जाना चाहिए जब तक यह प्रगति के रास्ते में बाधक न बने। मेरे मित्र प्रो. मधु दण्डवते ने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के समय मेरे द्वारा अपनाए गए रवैये का उल्लेख किया है। मुझे उस समय बहुत दुःख हुआ था। मैंने कोई विस्तृत वक्तव्य नहीं दिया था। जब कुछ संवाददाताओं ने मुझसे पूछा तो मैंने केवल यही कहा था, वह वाक्य मुझे अभी भी याद है, कि यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वर्ण मंदिर में हमें सेना भेजनी पड़ी और शीघ्र इसे वापिस बुलाना बेहतर होगा। मैंने केवल यही कहा था। देश में इस बारे में अनेक टिप्पणियां की गईं। मेरे विरुद्ध संपादकीय लिखे गए। राजनीतिक नेताओं ने मेरी निंदा की और न केवल राजीव जी ने जो बाद में प्रधानमंत्री बने बल्कि मेरे अपने दल के नेताओं ने भी मेरी निंदा की। श्री दण्डवते जी, हो सकता है श्री राजीव गांधी ने मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा हो। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें मैंने ग्यारह महीने तक समर्थन दिया, 1984 के चुनावों में जब बलिया गए तो उन्होंने कहा, "यह आदमी यहां से चुनाव क्यों लड़ रहा है? यह बलिया का भिंडरावाले है। इसे पंजाब से चुनाव लड़ना चाहिए।" जब उन्हें हमने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना और उनका समर्थन किया तो मैंने इस बात को बहुत महत्व नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा कि व्यक्तिगत मामलों का हमारे राजनीतिक निर्णयों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैंने राजीव जी और कांग्रेस की आलोचना की होगी। उन्होंने भी मेरी आलोचना की होगी। जब देश में संकट है, मेरा यह अनुमान गलत भी हो सकता है, तो इस समय चुनाव कराने से देश में विपत्ति पैदा होगी जैसाकि कुछ मित्रों ने भी कहा है लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए कामों को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हूं और न मैं वैसा बनना चाहता हूं। यदि यह अपराध है तो मैं यह अपराध करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा यह कहना है कि मैं एक व्यक्ति अथवा दल का सहयोग नहीं चाहता हूं बल्कि सभी का सहयोग चाहता हूं। अन्य मुद्दों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से पूछना चाहता हूं कि ग्यारह महीने पहले जब हमने यह सरकार गठित की थी तो उन्होंने हमारे घोषणा-पत्र को उद्धृत किया था। क्या उन्होंने वह घोषणा-पत्र पढ़ा है? पंजाब में क्या हुआ? क्या वहां स्थिति में सुधार हुआ है? कश्मीर में क्या हुआ? जब राजीव गांधी सत्ता से हटे थे तब कश्मीर...

मैं आपको बताता हूं। जब राजीव गांधी सत्ता से हटे थे तब कम से कम 25-30 प्रतिशत लोग खुले रूप से भारत का समर्थन कर रहे थे। जब हमारी सरकार बनी तो मैंने समाचारपत्रों में सबसे पहली बात यही पढ़ी कि श्री जगमोहन को राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। मैंने माननीय गृह मंत्री जी को एक पत्र लिखा और कहा कि "यह अनर्थकारी होगा, कृपया ऐसा मत कीजिए"। कामरेड सुरजीत और फारुखी तथा मैंने उनसे अनुरोध किया कि ऐसा मत कीजिए। मैंने ऐसा किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से नहीं कहा था। मेरे श्री फारुखी के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध

नहीं हैं। मैंने माननीय गृह मंत्री जी को यह समझाने का प्रयास किया था कि हमने पूरे विश्व में यही बताया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तानाशाही है और हमारे यहां निर्वाचित सरकार है। मेरी राजीव गांधी सरकार के बारे में अच्छी राय नहीं थी। जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब पांच वर्षों में मैं उनसे कभी नहीं मिला था। लेकिन श्री राजीव गांधी ने सम्मानपूर्वक अपना पद छोड़ा। अब हम एक दूसरे के बारे में वह विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं जो हमने चुनावों के दौरान प्रकट किए थे। राष्ट्र चलाने का यह कोई तरीका नहीं है कि राजीव गांधी की इस बात के लिए निन्दा करें कि चुनावों में हेरा-फेरी हुई। जब श्री मुफ्ती गृह मंत्री बने तो उन्हें चुनावों में हुई हेरा-फेरी के बारे में पता था। जब वह कांग्रेस में थे तो उन्हें कभी भी यह बात याद नहीं आई। क्या यह तरीका राष्ट्र चलाने का है?

श्री सोमनाथ चटर्जी बोफोर्स के बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं और मैं यह पहली बार नहीं कह रहा हूं कि यही एक विशिष्ट देश है जहां यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बेईमान है और वित्त मंत्री जिन्होंने उस सौदे की रूपरेखा तैयार की, ईमानदार हैं।

*** *** ***2

क्या मैं यह मानू कि सौदे की स्वीकृति हो जाने के बाद वित्त मंत्री ने कभी फाइल नहीं देखी अथवा उन्हें फाइल देखने नहीं दी गई? या तो वित्त मंत्री इतने अनभिज्ञ थे कि उन्हें इसके परिणामों का पता नहीं था अथवा वह पूरे सौदे में सहायक थे। यदि वह अनभिज्ञ थे तो प्रधानमंत्री के रूप में देश उनके हाथ में सुरक्षित नहीं था। बाद में यह सही साबित हो गया कि प्रधानमंत्री के रूप में देश उनके हाथों में सुरक्षित नहीं था। इसमें कोई व्यक्तिगत बात नहीं है बल्कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय मैं सरकार में नहीं था। मैंने गोपनीयता की शपथ नहीं ली हुई थी। फाइलों के बारे में मत पूछिए। मैं इस सभा में फाइलों के बारे में कभी भी नहीं बताऊंगा। जब तक अध्यक्ष महोदय मुझे निदेश नहीं देंगे अथवा यह सभा नहीं चाहेगी मैं इस सरकार की गोपनीय बातें नहीं बताऊंगा। लेकिन श्री आडवाणी जी, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि बोफोर्स अथवा भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि राजकीय शक्तियां व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत कारणों से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। व्यक्तिगत मित्रता के कारण किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे विचार से सरकार को यही रास्ता अपनाना चाहिए।

बोफोर्स के बारे में मैंने काफी कुछ कह दिया है। कश्मीर, असम और तमिलनाडु में क्या स्थिति है? असम, कश्मीर और पंजाब हमें श्री राजीव गांधी से विरासत में मिले हैं लेकिन असम और तमिलनाडु में ऐसी स्थिति किसने उत्पन्न की? उस पक्ष के एक मित्र ने मुझे कुछ कार्यवाही करने के लिए कहा है। महोदय मैं आपको और पूरे राष्ट्र को आश्वासन देता हूं कि राष्ट्र की एकता और अखण्डता के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैंने असम और

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से पहले ही सम्पर्क किया है। मैं उनसे बातचीत करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि उन राज्यों में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए उचित कार्यवाही की जाए। अन्यथा स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। मैं कोई भी तथ्य छुपाना नहीं चाहता हूं क्योंकि भारत सरकार इतनी असहाय नहीं है। यदि दिल्ली में केन्द्र सरकार असहाय सी बैठी रहती है तो एक क्षण के लिए भी हमें रहने का अधिकार नहीं है। यह प्रतिष्ठा का अथवा किसी को चुनौती देने का प्रश्न नहीं है। यह अपना कर्तव्य निभाने का प्रश्न है। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैंने इन सभी मुद्दों पर विचार प्रकट करने का प्रयास किया।

आर्थिक स्थिति के बारे में, अर्थव्यवस्था के कुप्रबन्धन के बारे में—मैं कुछ अधिक नहीं कह सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि हमने अपनी जनता को, अपने उद्योगपतियों को, अपने कर्मचारियों को गलत संकेत दिए हैं। लोग कुंठा और हताशा का अनुभव कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय यह सोचता है कि भारत की अर्थव्यवस्था नष्ट होने के कगार पर है। हमारे नागरिक जो भारत से बाहर हैं, वे सोचते हैं कि भारत के लिए कोई उम्मीद नहीं बची। किन्तु मैं आपको आश्वासन देता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आपके सहयोग से और इन लोगों के सहयोग से, इस देश को दुर्दशा की स्थिति से निकाल कर हम इस देश के गौरव को पुन: स्थापित करेंगे। हमें केवल अपने मेहनतकश लोगों का, अपने किसानों का, अपने श्रमिकों का सहयोग चाहिए। हमें भारत के बाहर रहने वाले सभी भारतीयों का समर्थन चाहिए क्योंकि वे भी हमारे समान ही देशभक्त हैं। हम सभी मित्र देशों का सहयोग चाहते हैं, किन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि हम अपने खर्च में कमी करके इस संकट से पार पा सकते हैं। इसके लिए संयम आवश्यक है। महात्मा गांधी द्वारा दिया गया मितव्ययिता का नारा सिर्फ एक नारा ही नहीं था बल्कि यह हमारी आर्थिक नीति का एक अंग था। स्वदेशी और स्वावलंबन– आत्मनिर्भरता और स्वदेशी। श्रीमती गीता मुखर्जी ने मुझसे यह प्रश्न पूछा था। स्वदेशी और स्वावलंबन का यथासंभव आश्रय लेने के अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। किन्तु संवेदनशील क्षेत्रों में हमें अन्य देशों से सहयोग लेना होगा।

मोटे तौर पर हमारा यही लक्ष्य है। हम यह प्राप्त करने में सफल होंगे या नहीं, यह तो भविष्य ही बताएगा। मैं कोई लम्बे-चौड़े दावे नहीं करना चाहता। मैं इस सरकार की सीमाएं जानता हूं, किन्तु, आडवाणी जी फिर भी मैं कहूंगा, आप मुझे काफी समय से जानते हैं। मैं चाहे कुछ भी हूं किन्तु एक कठपुतली नहीं हो सकता। मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे कठपुतली की तरह प्रयोग कर सके। इस देश में कई बड़े लोगों के साथ मेरा व्यवहार रहा है। यदि अभी तक मैं एक कठपुतली नहीं बना, तो निश्चिन्त रहिए कि आपके आशीर्वाद और समर्थन से, भविष्य में भी कोई भी कठपुतली की तरह मेरा प्रयोग नहीं कर पाएगा। किन्तु क्योंकि कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। इसलिए मैं उन लोगों की निन्दा नहीं करुंगा जिन्होंने इस संकट की घड़ी में मेरा साथ दिया है, यह संकट सिर्फ मेरा नहीं है, अपितु देश का भी संकट है और जो लोग मुझे समर्थन देने के लिए खड़े हुए हैं, मैं उनका आभारी हूं और मैं उनके

समर्थन को मानता हूं। मैं गुप्त रूप से कोई काम नहीं करना चाहता। अगर मैं लोगों से मिलता हूं, तो उनसे खुले रूप में मिलता हूं। किसी ने कहा कि मैं गुप्त रूप से मिल रहा था। मैं किसी से गुप्त रूप से क्यों मिलूंगा? राजीव गांधी को मुझसे मिलने में कुछ संकोच हो सकता है। किन्तु मुझे श्री राजीव गांधी से मिलने में कभी कोई संकोच नहीं हुआ था। अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं किसी के भी पास आ सकता हूं, फिर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व, किसी के स्थान पर जाने में मुझे क्या हिचकिचाहट हो सकती थी? अगर कोई अवसर आया तो मैं अपने कटु आलोचक के पास भी जाऊंगा। किन्तु मैं आपको आश्वस्त करता हूं, चाहे आप आलोचक हों या समर्थक, मुझे उस मार्ग से हटाने का प्रयास न करें जो मैंने स्वयं बनाया है। यहां मैं एक उर्दू का शेर प्रयोग करना चाहूंगा :

"मेरे कदम के साथ है मंजिल लगी हुई, मंजिल जहां नहीं वहां मेरे कदम नहीं।"

आपको शुरुआत करनी चाहिए। मैं अपनी हिचकिचाहट जानता हूं, मैं अपना उद्देश्य जानता हूं। अगर मैं उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता, तो मैं किसी भी मार्ग पर सिर्फ एक एकाकी पथिक के रूप में नहीं चलूंगा।

जिस अन्तिम मुद्दे पर मैं बात करना चाहूंगा वह है, दल-बदल के बारे में नैतिक सिद्धांत बनाए गए हैं। कई बातें की गई हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा। किन्तु, अध्यक्ष महोदय, जब दल-बदल विरोधी कानून पारित किया गया था, तो इसमें यह कहा गया था कि अगर एक तिहाई लोग दल से निकलते हैं, तो यह दल-बदल नहीं माना जाएगा। जो लोग दल छोड़ना चाहते थे उनके लिए यह एक रियायत नहीं थीं क्योंकि यह दल-बदल नहीं है। लोगों को समझना चाहिए कि एक और शब्द है जिसे 'विमति और विरोध' कहा जाता है। अगर विमति और विरोध प्रकट करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो समाज में एक ठहराव आ जाएगा और ठहराव का अर्थ है निश्चित मृत्यु। जब हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पर ही कुछ गलत हो रहा है और सारा देश विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है तो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम विमति व्यक्त करें। हमें विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। और मुझे अपने उन मित्रों पर गर्व है जिन्होंने, जो कुछ इस समय हो रहा था उसके प्रति अपना विरोध प्रकट किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी सदस्य इसमें सम्मिलित हों। इस महान उद्योग के लिए, इस महान कार्य के लिए, जो हमारे सम्मुख हैं, मैं आपका सहयोग चाहता हूं ताकि इस देश को वह गौरव और सम्मान पुन: प्राप्त हो सके जिसका वह अधिकारी है। मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं।

पश्च टिप्पण

I. **मंत्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव 16 नवम्बर, 1990**

1. **कुमारी उमा भारती** (खजुराहो) : विश्व हिन्दू परिषद ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि जब तक आप अयोध्या में कत्लेआम की निन्दा नहीं करेंगे और श्री मुलायम सिंह यादव की प्रशंसा करने पर अपना खेद व्यक्त नहीं करते, विश्व हिन्दू परिषद के लोग अयोध्या मामले पर आपसे बातचीत नहीं करेंगे।

श्री चन्द्रशेखर : अगर वे मुझसे बात नहीं करते हैं तो भी मैं उनसे बात करने के प्रयास जारी रखूंगा क्योंकि मैं यह अत्यन्त स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी भारतीय नागरिक कितने ही गलत रास्ते पर हों, मैं उनसे बात करूंगा लेकिन ऐसा केवल एक शर्त पर होगा कि देश की सार्वभौमिकता, एकता और अखण्डता के बारे में कोई समझौता नहीं होगा। सिर्फ यही एक शर्त है। अगर मेरे परिवार का एक पुत्र अथवा रिश्तेदार गलत काम करता है तो क्या मैं उसे एकदम से त्याग दूंगा?

2. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : माननीय प्रधानमंत्री जी की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं, यदि वे फाइल देखें तो उन्हें ज्ञात होगा, कि अन्तिम स्वीकृति वाणिज्यिक, तकनीकी और अन्य स्वीकृतियों के अध्यधीन थी। उसके बाद फाइल कभी मुझे वापिस नहीं मिली।

श्री चन्द्रशेखर : मैं उनसे सहमत हूं और उन्होंने जो कहा है मैं उससे सहमत हूं।

माले में हुए पांचवें सार्क शिखर सम्मेलन के बारे में वक्तव्य

7 जनवरी, 1991

21 से 23 नवम्बर, 1990 के बीच आयोजित पांचवें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं मालदीव गया था। इस शिखर सम्मेलन के परिणाम माले घोषणा में तथा इस शिखर सम्मेलन के अन्त में जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में निहित है। इन दस्तावेजों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

मालदीव में अपने प्रवास के दौरान मैंने बंगलादेश के भूतपूर्व राष्ट्रपति इरशाद से, मालदीव के राष्ट्रपति गयूम से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से तथा श्रीलंका के प्रधानमंत्री विजयतुंग से अलग-अलग बातचीत की। माले में मुझे भूटान के महामहिम नरेश तथा नेपाल के प्रधानमंत्री भट्टाराई से भी भेंट करने का सुअवसर मिला लेकिन इन दोनों नेताओं के साथ विस्तृत बातचीत नई दिल्ली में की गई जहां वे इस शिखर सम्मेलन के तुरन्त बाद पहुंच रहे थे।

भारत ने इस शिखर सम्मेलन में और शिखर सम्मेलन से पूर्व होने वाली बैठकों में कई पहलकदमियों को जो सभी स्वीकार की गईं और जिन्हें माले घोषणा तथा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में स्थान दिया गया।

हमारे सुझाव पर सार्क के अन्तर्गत क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी किया गया है।

सम्मेलन में हमारा यह प्रस्ताव भी स्वीकार हुआ कि क्षेत्रीय परियोजनाएं तय करने और उनके विकास के लिए एक कोष की स्थापना की जाए जिसके लिए वित्त की व्यवस्था सदस्य देशों के राष्ट्रीय विकास बैंक करें। हम इन बैंकों के प्रतिनिधियों को एक बैठक में बुलाएंगे जिससे इस कोष के संचालन के ठीक-ठाक तरीके तय किए जाएंगे।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मसलों पर मंत्री स्तर की दूसरी बैठक की भी मेजबानी करेगा जिससे उरुग्वे व्यापार वार्ता के निष्कर्षों की समीक्षा की जाएगी और पर्यावरण एवं विकास के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के आगामी सम्मेलन में सदस्य देशों की नीतियों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। इस बात पर सहमति हुई कि मंत्री स्तर की यही बैठक क्षेत्रीय संसाधन जुटाने के लिए एक कार्यनीति तैयार करेगा जिससे इस क्षेत्र में व्यक्तिगत और समष्टिगत आत्मनिर्भता को प्रोत्साहन मिलेगा और वह सुदृढ़ होगी।

हमने यह सुझाव भी दिया और इस पर निर्णय भी हो गया कि कुटीर उद्योग और हस्त शिल्प के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिएं ताकि इस क्षेत्र में सामूहिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक मंच तैयार हो।

इस शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि तीन अतिरिक्त क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए जायें अर्थात् पाकिस्तान में मानव संसाधन विकास केन्द्र, भारत में सार्क प्रलेखन

केन्द्र और नेपाल में सार्क क्षय रोग केन्द्र। हम भारत में सार्क प्रलेखन केन्द्र की स्थापना की दिशा में आवश्यक कदम शीघ्रतापूवर्क उठा रहे हैं।

इस सार्क शिखर सम्मेलन की कई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी रहीं। हम इस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाने पर सहमत हुए। हमने अपने समाचारपत्र संघों के बीच अधिक सम्पर्कों को सुविधाजनक बनाने का फैसला किया। हमने 1990 के दशक को बालिका दशक घोषित किया। हमने सार्क यात्रा दस्तावेज लागू किया जिससे कुछ वर्गों के लोग वीज़ा के बिना यात्रा कर सकेंगे। हमारे विदेश मंत्रियों ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के संबंध में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय अभिसमय पर हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रपति गयूम के साथ मेरी बहुत सौहार्द्रपूर्ण और मित्रतापूर्ण बातचीत हुई। चूंकि हमारे बीच कोई द्विपक्षीय समस्या नहीं है, इसलिए हमने आपसी सहयोग की कुछ प्रमुख परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया और इनके बारे में हम पूरी तरह एकमत थे। राष्ट्रपति गयूम ने भारत यात्रा का मेरा निमंत्रण कृपापूर्वक स्वीकार किया। वे बहुत शीघ्र हमारे देश की यात्रा पर आयेंगे।

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ अपनी द्विपक्षीय बातचीत में मैं उनके रचनात्मक रवैये से प्रभावित हुआ। उनके साथ बातचीत से यह प्रकट हुआ कि वे इस बात को भली-भांति जानते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंधों की विषमता कितनी महंगी पड़ सकती है और इस बात को भी कि सहयोगपूर्ण संबंध कितने लाभकारी हो सकते हैं।

मैंने उनकी भावनाओं की पूरी कद्र करते हुए ऐसे ही विचार व्यक्त किए और अपने दोनों देशों के बीच विश्वास और भरोसा पुन: कायम करने में उनका सहयोग मांगा।

मैंने पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में आतंकवाद को सीमा पार से लगातार मिल रहे समर्थन के बारे में अपनी चिन्ता जाहिर की। मैंने बलपूर्वक यह बात कही कि हमारे संबंधों में यह एक गम्भीर अड़चन है। हम इस बात पर सहमत हुए कि भारत और पाकिस्तान के बीच के सभी मतभेदों को शांतिपूर्वक और बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए और इन विभिन्न अनसुलझे मसलों पर बातचीत की प्रक्रिया पुन: शुरू होनी चाहिए।

हमारी इस बैठक के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक हुई है तथा हमारे संबंधों के बीच के तनाव को कम करने के लिए परस्पर विश्वास बढ़ाने की दिशा में कई उपायों पर उनमें सहमति की दिशा में प्रगति हुई है। उन्होंने सर क्रीक में भू-सीमा को अंकित करने, तुलबुल नौवहन परियोजना जैसे मसलों पर बातचीत पुन: शुरू करने का समय आदि तैयार करेंगे तथा उपायोगों की बैठकें बुलाने के संबंध में निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री विजयतुंग के साथ अपनी मुलाकात में मैंने श्रीलंका में जातीय संघर्ष निरन्तर चलने पर अपनी चिन्ता व्यक्त की जिसमें दोनों ओर से बड़ी संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं जिनमें असैनिक लोग शामिल हैं और जिसकी वजह से भारत में शरणार्थियों का आना बढ़ गया है।

मैंने इस बात पर भी बल दिया कि श्रीलंका की सरकार को भारत में श्रीलंका आने वाले शरणार्थियों को रोकने और जो लोग यहां आ गए हैं उन्हें वापस लौटाने की दिशा में कदम

उठाने चाहिएं तथा अपने यहां ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए जिससे कि वे शीघ्र श्रीलंका लौट सकें। हमने व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाने की सम्भावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया।

अपनी बात खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर यह कहना चाहूंगा कि भारत सार्क के अन्तर्गत दक्षिण एशियाई सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। यह हमारे आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए व्यष्टिगत और समष्टिगत आत्मनिर्भरता के निर्माण के लिए और बहुपक्षीय वार्ताओं में अपनी बात मनवाने की शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। संसार में आर्थिक एकीकरण की वर्तमान प्रवृत्ति के संदर्भ में इस प्रकार का सहयोग और भी आवश्यक हो गया है। माले शिखर सम्मेलन की अपनी ठोस उपलब्धियां हैं। सार्क अब व्यापार, उद्योग, ऊर्जा, मुद्रा, वित्त और पर्यावरण जैसे ठोस आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए तत्पर है। जरूरत इस बात की है कि हममें इन क्षेत्रों में विश्वास के साथ राजनैतिक इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ने की क्षमता हो। अपने आकार, अपने संसाधन और विकास के अपने स्तर के अनुरूप भारत निरन्तर जिम्मेदारी निभाता रहेगा और जहां जरूरी होगा वहां त्याग भी करेगा ताकि सार्क क्षेत्रीय सहयोग का एक प्रभावकारी और सम्पूर्ण उद्यम बन सके।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन के सदस्य देशों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों की ओर से 23 नवम्बर, 1990 को जारी माले घोषणा

बंगलादेश जन गणराज्य के राष्ट्रपति महामान्य श्री हुसैन मोहम्मद इरशाद, भूटान नरेश महामहिम नरेश जिग्मे सिग्मे वांगचुक, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री महामान्य श्री चन्द्रशेखर, मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति महामान्य मोमून अब्दूल गय्यूम, नेपाल के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय कृष्णा प्रसाद भट्टाराई, पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य के प्रधानमंत्री महामान्य श्री मोहम्मद नवाज शरीफ और लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री दीनागिरी यंदा विजेतुंग 21 से 23 नवम्बर, 1990 तक माले में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के पांचवें शिखर सम्मेलन में मिले।

2. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात को दोहराया कि इस क्षेत्र के लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग जरूरी है। उन्होंने अपना यह दृढ़ मत दोहराया कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थायित्व कायम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस क्षेत्र के देशों के बीच पारस्परिक सद्भाव, सहयोग और अच्छी प्रतिवेशिता के संबंध कायम किए जाएं। उन्होंने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुन: पुष्टि की और समान उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में सार्क के तत्वावधान में अपने सहयोग को और बढ़ाने का पुन: संकल्प लिया।

3. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने बलपूर्वक यह बात कही कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के सिद्धान्तों का सख्ती से अनुपालन करते हुए, खासतौर पर सम्प्रभुतात्मक समानता, प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, शक्ति का प्रयोग न करने, दूसरे राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के सिद्धान्तों के प्रति विशेष सम्मान करते हुए इस क्षेत्र में शांति, स्थायित्व और सौहार्द्रता संवर्धित करना चाहते हैं।

4. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि 1985 में सार्क की स्थापना तथा दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एकीकृत कार्ययोजना शुरू करने से इस क्षेत्र के लोगों में उत्साह बढ़ा है और आशा जगी है तथा दक्षिण एशिया में एक जागरूकता भी आ गई है जो क्षेत्रीय सहयोग की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है और धीरे-धीरे विकसित भी हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र की जनता में सद्भाव, विश्वास और समझ-बूझ की जो रचनात्मक स्थिति विद्यमान है, उसका वे अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तथा सार्क को एक ऐसा सक्रिय माध्यम बना देंगे जो अपने उद्देश्यों में सफल हो सके तथा जिससे पारस्परिक सम्मान, समानता, सहयोग और पारस्परिक लाभ पर आधारित एक व्यवस्था कायम हो सके।

5. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने दक्षिण एशिया में बच्चों की स्थिति पर विचार किया और यह देखा कि हाल ही में जो विश्व बाल सम्मेलन हुआ था उससे इस दिशा में किए जा रहे प्रयत्नों को एक नई प्रेरणा मिली है। उनका यह विश्वास था कि विश्व शिखर सम्मेलन की संगत सिफारिशों का, दक्षिण एशिया के संदर्भ में एक कार्ययोजना में लाभप्रद तरीके से इस्तेमाल करके इसके कार्यान्वयन पर हर वर्ष विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार की कार्ययोजना के मार्ग-निर्देशक सिद्धान्त विशेषज्ञों के एक दल द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिनका चयन सार्क महासचिव कर सकते हैं। इस कार्य योजना का स्वास्थ्य एवं जनसंख्या संबंधी कार्यकलाप विषयक तकनीकी समिति भी निरीक्षण कर सकती है। उन्होंने बाल अधिकार संबंधी अभिसमय पारित किए जाने तथा उसे लागू किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि जो सदस्य राज्य अभी तक इस अभिसमय के पक्षकार नहीं बने हैं वे शीघ्र ही इसके पक्षकार बनेंगे।

6. शासनाध्यक्षों अथवा राज्याध्यक्षों ने जून, 1990 में इस्लामाबाद में आयोजित विकास में महिलाओं के योगदान के संबंध में सार्क की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक की सिफारिशों की पुष्टि की। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि वर्ष 1990 को "सार्क बालिका वर्ष" के रूप में मनाने पर सदस्य राज्यों ने सामूहिक तौर पर उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने यह निर्णय किया कि बालिकाओं की समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए 1991-2000 ईसवी का दशक "सार्क बालिका दशक" के रूप में मनाया जाना चाहिए।

7. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच बढ़ते हुए गठजोड़ पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्ष 1989 को नशीली औषधियों के प्रयोग और उनके अवैध व्यापार के लिए सार्क़ वर्ष के रूप में मनाए जाने से इस भीषण समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने की दृष्टि से बहुत जोरदार प्रभाव पड़ा है और इस बात की आवश्यकता को भी बहुत सराहा गया है कि इस समस्या को जड़मूल से समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि चौथे सार्क़ शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुरूप "नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेन्सिज" संबंधी सार्क़ अभिसमय

पर माले में हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने सदस्य राज्यों का आह्वान किया कि इस अनुसमय के अनुसमर्थन के लिए शीघ्र उपाय करें ताकि इसे काबू किया जा सके। ये इस ओर से पूर्णत: आश्वस्त थे कि इस अभिसमय से इस क्षेत्र में सार्क के प्रयासों को अधिक कारगर बनाने में सहायता मिलेगी।

8. उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं एवं पर्यावरण के संरक्षणों और परिरक्षणों के कारणों और परिणामों से संबंधित क्षेत्रीय अध्ययन को पूरा करने की समय-सीमा के विषय में मंत्रिपरिषद के निर्णय की पुष्टि की। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि "ग्रीन-हाउस इफैक्ट" और इसके प्रभाव अध्ययन शुरू करने से संबद्ध रीति को जिसे निकट भविष्य में अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की कि यह अध्ययन छठे शिखर सम्मेलन में विचारार्थ पूरा हो जाना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने इस बात पर गौर किया कि सघन वर्षा के क्षेत्रों का विश्वभर में लगातार विनाश होने की वजह से जलवायु संबंधी परिवर्तनों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि प्रस्तावित अध्ययन में इस पक्ष को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि इन अध्ययनों से पर्यावरण एवं प्राकृतिक विपदा-प्रबंध के क्षेत्र में सार्थक सहयोग की एक कार्ययोजना तैयार हो सकेगी।

9. इस बात को मानते हुए कि पर्यावरण प्रमुख सार्वभौम चिन्ता का विषय बन गया है, राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर-सरकारी पैनल द्वारा अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में की गई पूर्व सूचना पर गौर किया। उन्होंने विश्व समुदाय से अनुरोध किया कि वे अतिरिक्त वित्त जुटाएं तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराएं ताकि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन और समुद्रीय स्तर के ऊंचा हो जाने से उत्पन्न हुई चुनौतियों का सामना कर सकें। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सदस्य देशों को इस मसले पर अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थितियां समन्वित करनी चाहिएं। उन्होंने वर्ष 1992 को "सार्क पर्यावरण वर्ष" के रूप में मनाने का फैसला किया।

10. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने संतोष के साथ इस बात पर गौर किया कि व्यापार, विनिर्माण एवं सेवाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्ययन पूरा हो गया है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि क्षेत्रीय अध्ययन मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे क्षेत्र के लोगों की समृद्धि के लिए सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे।

11. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने यात्रा दस्तावेजों के बारे में मंत्रिपरिषद की सिफारिशों को स्वीकार किया और यह घोषणा शुरू करने का फैसला किया।

12. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि सदस्य राज्यों को मजबूर होकर अपने दुर्लभ संसाधनों को आतंकवाद को दबाने के लिए लगाना पड़ रहा है। उन्होंने आतंकवाद के दमन के सम्बन्ध में सार्क क्षेत्रीय अभिसमय के क्रियान्वयन के लिए तेजी से सक्षम उपाय करने का आह्वान किया। उन्होंने सदस्य राज्यों से अभिसमय के अनुसार सहयोग जारी रखने का भी अनुरोध किया।

13. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर गौर किया कि आज उनके देश अगली सहस्त्राब्दी की दहलीज पर खड़े हैं जबकि संसार आज जबरदस्त परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है जिन्हें लोकतन्त्र, मुक्ति और मानवाधिकारों का प्रयोग करने, सैद्धान्तिक बाधाओं को दूर करने तथा सार्वभौम तनाव को कम करने तथा सार्वभौम संघर्ष के लिए तथा निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति तथा बहुत-सी क्षेत्रीय और सार्वभौम समस्याओं के निराकरण के रूप में अभिव्यक्ति मिल रही है। उन्होंने सार्वभौम अर्थव्यवस्था में उदारता की प्रवृत्ति का तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विश्व अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में एकधार होने की प्रवृत्ति का स्वागत किया। उन्होंने सार्वभौम उत्पादन खपत और व्यापार की प्रणाली की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का तथा विश्व अर्थव्यवस्था ढांचे की बढ़ती हुई बहुरूपता तथा अपनी प्रौद्योगिक गति और प्रतियोगी रुख को बनाए रखने के लिए विकासशील देशों की मण्डियों के एकीकरण की प्रवृत्ति पर भी गौर किया। इन परिवर्तनों ने नई चुनौतियां प्रस्तुत की हैं तथा दक्षिण एशियाई देशों और शेष विकासशील विश्व के लिए नए अवसर दिए हैं। राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट थे कि इन उद्देश्यों पर अधिक प्रभावी ढंग से चलने के लिए उनका आपसी सहयोग काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।

14. विकासशील देशों की दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा के लिए जैव-प्रौद्योगिकी और औषधीय प्रयोजनों के अत्यावश्यक महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में सहयोग की और विशेष रूप से आनुवंशिक संरक्षण के विशिष्ट ज्ञान के आदान-प्रदान तथा जनन-द्रव्य बैंकों के रख-रखाव को बढ़ाया जाए। इस सम्बन्ध में उन्होंने भारत द्वारा प्रशिक्षण सुविधाएं देने के प्रस्ताव का स्वागत किया और इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि विभिन्न सार्क देशों के पास उपलब्ध आनुवंशिक संसाधनों की सूची बनाने में सहयोग करने से पारस्परिक लाभ होगा। विकासशील देशों के लिए आनुवंशिक बैंक की स्थापना के लिए 15 विकासशील देशों के समूह (जी-15) के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष इस उद्यम में सहयोग देने को तैयार हो गए।

15. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए एक कोष की स्थापना करने के विचार का स्वागत किया। इस कोष से क्षेत्रीय परियोजनाओं का पता लगाने और उनका विकास करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। वे इस बात पर सहमत हुए कि सदस्य देशों के राष्ट्रीय विकास बैंकों के प्रतिनिधि कोष के स्रोतों को ठीक-ठीक रूपरेखा तैयार करने के लिए और ऐसे तरीके निकालने के लिए परस्पर विचार-विमर्श करेंगे जिससे इन्हें संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के साथ सम्बद्ध किया जा सके। उन्होंने भारत द्वारा इस बैठक की मेज़बानी करने के प्रस्ताव का स्वागत किया।

16. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने खाड़ी में घटित हाल की घटनाओं के तनावशैथिल्य, सहयोग और झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाए जाने, वर्तमान प्रवृत्ति के विपरीत अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के रूप में लिया। उन्होंने इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के पालन की पुन:पुष्टि की। इस मसले के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कुवैत से इराकी सेनाओं की शीघ्र और बिना किसी शर्त पर वापसी की मांग की और वहां की वैध सरकार की बहाली की मांग की। उन्होंने कहा कि खाड़ी संकट से उसकी अर्थव्यवस्था पर भयंकर आघात पहुंचा है। प्रेषणों में आई भारी कमी, उनके निर्यात को नुकसान

पहुंचने और तेल की कीमतों के बढ़ जाने से उनके भुगतान सन्तुलन की स्थिति को धक्का लगने के कारण उन्हें जो हानि हुई है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने इन प्रतिकूल परिणामों से उत्पन्न प्रभावों को कम करने के लिए पारस्परिक सहयोग की सम्भावनाओं को स्वीकार किया।

17. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर संतुष्टि जाहिर की कि 1989 में संयुक्त राष्ट्र में छोटे राज्यों की रक्षा और सुरक्षा के लिए मालदीव की सरकार ने जो पहलकदमी की थी और जिसका सभी ने समर्थन किया था, उसे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का भी व्यापक समर्थन मिला है। वे इस बात पर सहमत हुए कि छोटे राज्यों की अपनी विशेष किस्म की समस्याएं हैं, इसलिए उनकी स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा के लिए विशेष उपायों की जरूरत है।

18. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने आशा व्यक्त की कि शस्त्र नियन्त्रण पाबंदी महाशक्तियों के बीच वार्ता का निष्कर्ष उनके नाभिकीय शस्त्रागारों में भारी कमी किए जाने की सहमति के रूप में होगा जिसके माध्यम से बाद में नाभिकीय शस्त्रों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकेगा। सार्वभौम शस्त्र कटौती के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का स्वागत करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी विश्वास तथा भरोसे को बढ़ाकर इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। उन्होंने निरस्त्रीकरण तथा विकास के बीच के सम्बन्धों का उल्लेख किया तथा सभी राष्ट्रों से विशेषत: जिनके पास भारी मात्रा में नाभिकीय तथा परम्परागत शस्त्रागार हैं, से मांग की कि वे अतिरिक्त वित्तीय साधनों, मानव शक्ति तथा सृजनात्मक कार्यों को विकास की दिशा में लगाएं। उन्होंने रासायनिक अस्त्रों पर रोक लगाए जाने तथा व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर शीघ्र निर्णय लिए जाने का समर्थन किया। इस सम्बन्ध में, उन्होंने आंशिक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि को व्यापक नाभिकीय परीक्षण प्रतिबन्ध संधि में परिवर्तित किए जाने से सम्बन्धित संशोधनों पर विचार करने के लिए जनवरी, 1991 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाए जाने का स्वागत किया।

19. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि विकासशील देशों की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति, संसाधनों के प्रतिकूल प्रवाह, व्यापार में अत्यधिक अवरोध, गम्भीर विदेशी ऋण समस्याओं तथा अधिक ब्याज दर की है। अत: सार्क देशों के लिए अधिक रियायती साधनों तथा प्रौद्योगिकी और साथ ही उनके निर्यात के लिए मंडियां उपलब्ध कराने की आवश्यकताओं को कम महत्व नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आपसी हितों पर आधारित सामूहिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता की मांग की तथा यह अनुभव किया कि परस्पर आश्रित समान प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से उत्तर दक्षिण विचार-विमर्श किया जाए।

20. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने 1986 में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मसलों पर इस्लामाबाद में हुई प्रथम मंत्री स्तर की बैठक की उपयोगिता को दोहराया। वे इस बात पर सहमत हुए कि उरुग्वे दौर के परिणामों की समीक्षा करने के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, जिसमें पर्यावरण तथा विकास से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1992 शामिल है, स्थिति को समन्वित करने के लिए 1991 में भारत में मंत्री स्तर की ऐसी दूसरी बैठक आयोजित की जाए।

21. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समता के प्रयासों को जारी रखने के लिए राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने स्वावलम्बन के उद्देश्यों के लिए मंत्रीस्तरीय बैठक की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मंत्रियों को क्षेत्रीय साधनों को संचालित करने की नीति तैयार किए जाने का निदेश दिया। इससे क्षेत्र में अलग-अलग और सामूहिक स्वावलम्बन को उत्साह और बल मिलेगा।

22. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने पेरिस घोषणा (1990) तथा अल्पविकसित देशों के संबद्ध द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों द्वारा स्वीकार की गई कार्ययोजना को अपना समर्थन दिया। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्ययोजना के सफल कार्यान्वयन में सहयोग देने की मांग की जो क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

23. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने साउथ एशिया के लोगों को स्वदेशी प्रौद्योगिकी की जानकारी तथा सामग्री का अनुकूल उपयोग करके बेहतर आवास उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकताओं पर जोर दिया तथा निर्णय किया कि 1991 को वर्ष "सार्क शरण-स्थल वर्ष" के रूप में मनाया जाए।

24. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने नोट किया कि सार्क क्षेत्र में लाखों अपंग रह रहे हैं तथा उनकी कठिनाइयों को कम करने और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी जरूरी है। उन्होंने वर्ष 1993 "सार्क अपंग व्यक्तियों का वर्ष" मनाने का फैसला किया।

25. राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष इस बात से विशेषरूप से प्रसन्न थे कि पांचवां सार्क शिखर सम्मेलन और मालदीव की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ एक ही समय सम्पन्न हुई। इससे उन्हें मालदीव की सरकार तथा लोगों के प्रति अपनी एकजुटता की भावना प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनका विचार था कि माले शिखर सम्मेलन से क्षेत्रीय सहयोग के लाभों को समेकित करने और सार्क के संस्थागत आधार को मजबूत करने में सहायता मिली है।

26. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने 1991 में छठे सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए श्रीलंका सरकार के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया।

27. बंगलादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने मालदीव के राष्ट्रपति की बैठक के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को शानदार ढंग से निभाने के लिए हार्दिक सराहना की। उन्होंने मालदीव की सरकार का तथा लोगों का उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं तथा बैठक के दौरान उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए आभार प्रकट किया।

माले में आयोजित पांचवें सार्क शिखर सम्मेलन के अन्त में 23 नवम्बर, 1990 को जारी संयुक्त प्रैस विज्ञप्ति

बंगलादेश के राष्ट्रपति, भूटान के नरेश, भारत के प्रधानमंत्री, मालदीव के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तथा श्रीलंका के प्रधानमंत्री 21 से 23 नवम्बर, 1990 तक माले में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के पांचवें शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए। उनकी यह बैठक हार्दिकता, सौहार्द्रता तथा पारस्परिक सद्भाव के वातावरण में हुई।

2. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सार्क के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनःपुष्टि की और सार्क के तत्वावधान में अपने पास्परिक सहयोग को और सुदृढ़ करने का संकल्प लिया। उन्होंने माले घोषणा जारी की।

3. उन्होंने नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटैंस विषयक सार्क अभिसमय पर माले में मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया तथा इस अभिसमय का शीघ्र अनुसमर्थन करने के उपाय करने का वचन दिया।

4. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात का फैसला किया कि वे एक "विशेष सार्क यात्रा दस्तावेज" शुरू करेंगे जिसके धारकों को इस क्षेत्र में यात्रा के लिए वीज़ा लेने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का, राष्ट्रीय संसदों के सदस्यों, राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के अध्यक्ष का तथा उन पति/पत्नियों और आश्रित बच्चों को यह दस्तावेज प्राप्त करने का हक होगा।

5. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने मंत्रिपरिषद के इस निर्णय की पुष्टि की कि 1991 की पहली छमाही में संगठित पर्यटन को संवर्धित करने से संबद्ध योजना शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने सदस्य राज्यों के पर्यटन उद्योगों के बीच संस्थागत सहयोग के प्रस्ताव का भी स्वागत किया ताकि इस क्षेत्र से बाहर के पर्यटकों को बड़ी मात्रा में आकृष्ट किया जा सके।

6. उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सभी सदस्य राज्यों ने और अपने यहां व्यापार, विनिर्माण और सेवा संबंधी राष्ट्रीय अध्ययन का कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि क्षेत्रीय अध्ययन का कार्य भी निर्धारित समय-सीमा में पूरा कर लिया जाना चाहिए।

7. उन्होंने यह फैसला किया कि कुटीर उद्योग और दस्तकारी के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की स्थापना की दिशा में तत्काल उपाय शुरू किये जाने चाहिए जिससे कि क्षेत्र के भीतर सामूहिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए संघ तैयार हो सके। उन्होंने सार्क महासचिव को निदेश दिया कि वे सार्क क्षेत्र से 2-3 विशेषज्ञों का चयन करके एक दल का गठन करें। जो एक दस्तावेज तैयार करे जिसमें संयुक्त उद्यमों की स्थापना के तौर-तरीके सुझाए गए हों, वित्तीय स्रोत बताए गए हों और अन्य तमाम ब्यौरे दिए गए हों जिस पर मंत्रिपरिषद अपनी अगली बैठक में विचार कर सके।

8. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने क्षेत्रीय आर्थिक कोष की स्थापना के प्रस्ताव पर गौर किया तथा स्थायी समिति को यह निर्देश दिया कि वह इस प्रस्ताव पर अपनी सिफारिशें दे जिस पर मंत्रिपरिषद के अगले अधिवेशन में विचार किया जा सके।

9. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सामूहिक प्रचार-तंत्र के क्षेत्र में सार्क के सदस्य राज्यों के बीच सहयोग के महत्व पर बल दिया और सार्क महासचिव को यह निर्देश दिया कि वे सार्क तत्वावधान में इस क्षेत्र के पत्रकार परिसंघों/एसोसिएशनों, समाचार अभिकरणों और सामूहिक प्रचार-तंत्रों के बीच और अधिक पारस्परिक कार्यकलाप को सुविधाजनक बनाए।

10. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सूचना के आदान-प्रदान और रिपोर्टों के आदान-प्रदान तथा अध्ययनों, प्रकाशनों को यूरोपीय समुदाय तथा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र एसोसिएशन (आसियान) के साथ प्रारम्भ में सहयोग के निर्धारित क्षेत्रों में सूचना का आदान-प्रदान करने का अधिकार सचिवालय को दिए जाने का स्वागत किया।

11. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पाकिस्तान में मानव संसाधन विकास केन्द्र स्थापित करने का काम ठीक चल रहा है। उनका यह मत था कि इस केन्द्र से इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अधिकतम क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में योगदान मिलेगा।

12. उन्होंने इस बात का आह्वान किया कि एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में, एक व्यापक रूपरेखा के अन्तर्गत कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्रीय योजना, "सार्क 2000— बुनियादी जरूरतों की प्राप्ति के संदर्भ में" को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

13. उन्होंने निदेश दिया कि आयोजकों को "गरीबी निवारण" संबंधी नीतियों पर गहराई से विचार करना चाहिए जिससे कि समुचित सिफारिशें तैयार की जा सकें।

14. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने यह फैसला किया कि बालिकाओं की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए ईसवी सन् 1991-2000 का दशक "सार्क बालिका दशक" के रूप में मनाया जाएगा। वे सार्क बालिका अपील से बहुत प्रभावित हुए जिसमें बालिकाओं ने अपील की है कि उन्हें स्नेह मिलना चाहिए तथा उनकी समुचित देखभाल होनी चाहिए और जिसमें उन्होंने अपने बालपन का अधिकार भी मांगा है। उन्होंने अपने इस संकल्प को दोहराया कि सामान्यतया सभी बालकों का कल्याण, और विशेषत: बालिकाओं का कल्याण, उनकी प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रहेगा।

15. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मंचों पर सार्क सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच नियमित विचार-विमर्श के महत्व पर बल दिया जिससे कि, जहां तक मुमकिन हो, समान हित-चिन्ता के मामलों पर ये एकजुट रवैया इख्तियार कर सकें। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मसलों पर मंत्रि स्तर की दूसरी बैठक 1991 में भारत में करने का फैसला किया।

16. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने दक्षिण एशिया के लोगों को रहन-सहन की बेहतर परिस्थितियां मुहैया कराने की तात्कालिक़ आवश्यकता पर बल दिया और यह निर्णय लिया कि "बेघरों" की समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए वर्ष 1991 "सार्क शरण-स्थल वर्ष" के रूप में मनाया जायेगा। उन्होंने यह भी फैसला किया कि इस विचार के आधार पर प्रत्येक देश अपने-अपने यहां कार्यक्रम आयोजित करेगा तथा अपने अनुभवों को एक-दूसरे के साथ अदल-बदल करेंगे जिससे कि इस क्षेत्र के लोग "सार्क शरण-स्थल वर्ष" से व्यावहारिक लाभ उठा सकें।

17. उन्होंने यह फैसला किया कि प्राकृतिक विनाश के कारण और परिणाम तथा पर्यावरण के संरक्षण और परिरक्षण से संबद्ध क्षेत्रीय अध्ययन तथा "ग्रीन हाउस इफेक्ट" संबंधी अध्ययन तथा सार्क क्षेत्र पर इसका प्रभाव अगले शिखर सम्मेलन से पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब तक ये अध्ययन कार्य पूरे नहीं हो जाते, सदस्य राज्यों को इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक कदम उठाने चाहिएं। उन्होंने तय किया कि वर्ष 1992 को वे "सार्क पर्यावरण वर्ष" के रूप में मनाएंगे।

18. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सार्क क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों अपंग व्यक्तियों के दुख:दर्द को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करने तथा उनके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उन्होंने वर्ष 1993 को "सार्क अपंग-व्यक्ति वर्ष" के रूप में मनाने का फैसला किया।

19. उन्होंने यह निर्णय किया कि 1991 को सार्क शरण-स्थल वर्ष, 1992 को सार्क पर्यावरण वर्ष तथा 1993 को सार्क अपंग-व्यक्ति वर्ष के रूप में मनाने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिएं। इन क्षेत्रों में सार्क देशों के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने तथा लोगों को इन विषयों के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से क्रमश: श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन के लिए कार्यकलाप की योजनाएं परिचालित करेंगे।

20. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर गौर किया कि "सार्क कृषि सूचना केन्द्र" ने ढाका में अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने यह निश्चय किया कि क्रमश: नेपाल और भारत में सार्क उपयोग केन्द्र तथा सार्क दस्तावेज केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। उन्होंने निदेश दिया कि इन दोनों केन्द्रों की स्थापना की दिशा में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

21. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि सार्क के तत्वावधान में आयोजित की जाने वाली बैठकों में अधिक से अधिक काम करने की और कार्यात्मक शैली कायम की जानी चाहिए। उन्होंने पांचवें सार्क शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष और बंगलादेश के राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि इस दिशा में सदस्य-राज्यों के साथ विचार-विमर्श शुरू किया जाना चाहिए।

22. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को यह निदेश दिया कि वे सार्क की गतिविधियों को युक्तियुक्त बनाने की दिशा में अपनी सिफारिशें तैयार करें जिससे कि एसोसिएशन को अधिक कारगर तरीके से चलाया जा सके।

23. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सार्क सचिवालय के प्रारंभिक वर्षों के दौरान इसके प्रथम महासचिव की हैसियत से राजदूत अबुल एहसान ने जो अग्रणी कार्य किया है, उसकी सराहना की। उन्होंने राजदूत अबुल एहसान के उत्तराधिकारी के रूप में राजदूत कांत किशोर भार्गव का स्वागत किया तथा सार्क की चालू गतिविधियों में उनके बहुमूल्य योगदान की सराहना की।

24. उन्होंने इस सुखद संयोग पर बहुत खुशी जाहिर की कि सार्क का पांचवां शिखर सम्मेलन मालदीव की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है और इस संयोग के कारण उन्हें मालदीव की जनता और मालदीव की सरकार के साथ अपनी एकजुटता खुद अभिव्यक्त करने का मौका मिला।

पश्च टिप्पण

II. माले में हुए पांचवें सार्क शिखर सम्मेलन के बारे में वक्तव्य, 7 जनवरी, 1991

कोई टिप्पण नहीं।

अमरीकी विमानों को ईंधन भरने के लिए रुकने के बारे में निर्णय

22 फरवरी, 1991

इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। यह मुद्दा पूरे देश से सम्बन्धित है। इस मुद्दे पर न केवल हमारा पूरा राष्ट्र बल्कि पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है।

मैं यह भी जानता हूं कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने इस समस्या के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं। मैं उठाए गए सभी मुद्दों के बारे में विस्तारपूर्वक नहीं बोलना चाहता। मैं पिछली बातों को भी नहीं दोहराना चाहता। मैं किसी और व्यक्ति अथवा सरकार पर भी आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हुआ, वह इस सरकार का दायित्व है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को स्पष्ट करूंगा। अन्यथा, ऐसा प्रतीत होगा कि मैं कुछ छुपाना चाहता हूं।

सबसे पहले, मैं श्री नरसिंह राव द्वारा दिए गए भाषण में उठाए गए मुद्दों के बारे में बोलूंगा। इस देश में संयुक्त राज्य अमरीका के विमानों को खुला गलियारा देने के बारे में इस सभा को मैं यह बताना चाहता हूं कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है, किसी भी सरकार को खुला गलियारा नहीं दिया गया है। उस समय ऐसा क्यों किया गया, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। मैं पहले लिए गए निर्णयों के बारे में कुछ नहीं कह सकता।

मैं अपने मित्र श्री गुजराल को भी कुछ बताना चाहता हूं। वह जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह परम्परा है कि प्रत्येक उड़ान को बीच में रुकना पड़ता है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि बीच में रुकने की सुविधा देने से सम्बन्धित देश को यह जांच करनी होती है कि उस विशेष विमान में क्या माल जा रहा है। श्री नरसिंह राव ने भी इसी मुद्दे पर बल दिया है। यदि आप खुला गलियारा दे देते हैं और बीच में उतरना अनिवार्य नहीं है, तब मेरे विचार से यह अच्छी स्थिति नहीं होगी। खुला गलियारा, अति प्रमुख व्यक्तियों, राज्याध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और अति महत्वपूर्ण सैन्य कार्मिकों को दिया जाता है जिनके आने-जाने की पहले से सूचना दी जाती है। परम्परा यही है। मुझे कूटनीति की परम्पराओं और सूक्ष्मताओं के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन, पूरे विश्व में यही परम्परा है और ऐसा न केवल संयुक्त राज्य अमरीका के साथ किया जा रहा है बल्कि, अन्य देशों के साथ भी किया जा रहा है। हम सभी देशों को यह सुविधाएं दे रहे हैं चाहे वह एक गुट का हो या दूसरे गुट का। इसका हमारी गुट-निरपेक्ष नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह देश इस परम्परा का बहुत समय से पालन कर रहा है।

जब भी किसी विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देते हैं तो इसका यहां एक स्थान पर उतरना अनिवार्य कर देते हैं, जिसे हम ट्रान्जिट लैंडिंग अथवा 'बीच में उतरना' कहते हैं। उन्हें ईंधन भरने की सुविधा देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यदि कोई विमान उतरता है तो ईंधन की सुविधा दिया जाना अनिवार्य है और यह सुविधा सभी देश देते हैं। अभी हमारे विमान और वायु सेना के विमान लगभग 24 या 20 देशों के ऊपर से उड़ान भरते

हैं और हमें यह सुविधा मिल रही है। हमारी कुछ देशों के साथ ऐसी द्विपक्षीय व्यवस्था है जिनके विमानों को हम बीच में उतरने को नहीं कहते, लेकिन अमरीका के साथ ऐसी बात नहीं है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष यह सच है और सभी जानते हैं कि खाड़ी में युद्ध की सी स्थिति पैदा हो गयी थी। हम भी जानते थे कि स्थिति बदतर हो सकती थी और युद्ध की सम्भावना थी। इसीलिए जब हमने उन्हें यह सुविधा प्राप्त करने की अनुमति दी थी, तो उनसे यह गारन्टी ली थी कि विमान में कोई घातक हथियार नहीं ले जाया जाएगा। यह पहला मौका है जब भारत सरकार ने किसी से इस प्रकार की गारन्टी लेने पर जोर डाला था। मैं कोई बड़े दावे नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसा किया गया था और अमरीकी सरकार इस पर सहमत हुई थी।

दूसरा प्रश्न जो बहुत ही प्रासंगिक है। मैं श्री नरसिंह राव से सहमत हूं कि यह व्यवस्था सामान्य और शांति काल के लिए थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय इसे रोक दिया जाना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि हम अपनी निर्धारित नीतियों, परम्पराओं और प्रथाओं, जिनका विगत 40 वर्षों से अनुसरण किया जा रहा है, उससे थोड़ा भी नहीं हटे हैं। मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि हमारी गुट-निरपेक्षता पर कोई खतरा है और न ही किसी भी पक्ष से ऐसी शंका अथवा शिकायत की गयी है कि हमारा झुकाव किसी एक पक्ष अथवा दूसरे पक्ष की ओर हो गया है। इसे हमारी गुट-निरपेक्षता की नीतियों से कोई लेना-देना नहीं है। मेरा यह कहना है कि भारत सरकार की गुट-निरपेक्षता के सिद्धांत के प्रति आज भी उतनी ही निष्ठा है, जितनी पहले कभी थी। हां, राष्ट्रहित में इसमें थोड़ा लचीलापन आता रहा है और वह भी शुरू से ही मेरे मित्र, श्री जसवंत सिंह ने 1962 और 1971 में क्या हुआ, इस सम्बन्ध में बताया। यह युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी हैं। इन्हें इन युद्धों के बारे में अधिक जानकारी है। मैं नहीं जानता। इसीलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। श्री दिनेश सिंह उन दिनों शासन तन्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उन्हें इसकी जानकारी होगी। इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि उन दिनों विमान उड़ानें, ईंधन की सुविधा प्राप्त करने, अन्य कार्यों को करने की नीतियों में किसी प्रकार का सामन्जस्य नहीं था। लेकिन किसी सरकार के साथ उन दिनों हमारा कोई समझौता नहीं था। यह भारत की परम्परा थी, जिसका निर्वहन किया जाता था और किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने देश में यह विचार उभरते देखा कि ईंधन की सुविधा नहीं देनी चाहिए। तत्काल मैंने विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई। मैंने उनसे कहा, "यदि आप चाहें। मैं आज ही यह सुविधा देना बन्द करने के लिए कह सकता हूं"। लेकिन फिर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को देखते हुए ऐसा नहीं किया गया। मेरे मित्र श्री आई. के. गुजराल, श्री नरसिंह राव और श्री दिनेश सिंह यह जानते हैं। ऐसा एकदम से नहीं कहा जा सकता कि "मैं आपको अनुमति देता हूं", "मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं", क्योंकि इससे हमारा राष्ट्रीय हित जुड़ा है। हम एक ही बात कह सकते हैं कि "परिस्थिति ऐसी है कि यदि आप इस सुविधा का उपयोग न करें, तो बेहतर होगा"। ज्योंही मैं उस विचार से, जिसे सभा के सभी दलों ने नहीं बल्कि महत्वपूर्ण दलों ने व्यक्त किया था, अवगत हुआ, मैंने तुरन्त अमरीकी सरकार को यह सूचित किया कि वे इसे बन्द कर दें। इसमें थोड़ा समय लगता है। यदि मेरी गलती है तो आप मुझ पर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन मेरे कुछ मित्रों ने मुझ पर उंगली उठाई है। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख हुआ, जब श्री गुजराल ने यह कहा कि निर्णय सरकार द्वारा लिया गया अथवा किसी अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकारियों के निर्देश पर

ऐसा किया गया है। मैं और श्री गुजराल लम्बे समय से मित्र रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि श्री गुजराल किसी समय कभी संवैधानिक प्राधिकारियों से परे निर्देश प्राप्त करते होंगे। अपने जीवन में मैंने कभी भी संवैधानिक प्राधिकार से बाहर किसी से निर्देश नहीं लिया है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात इस सभा में नहीं करना चाहता। यदि श्री आई. के. गुजराल ने ऐसी बात नहीं कही होती, तो मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कहता। मैं किसी भी टिप्पणी को नजर-अंदाज कर देता, परन्तु श्री आई. के. गुजराल की टिप्पणी को नजर-अंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उन्हें लम्बे समय से जानता हूं और उनके लिए मेरे मन में बड़ा सम्मान है और वह भी मुझे लम्बे समय से जानते हैं। हो सकता है कि मुझमें कुछ कमी हो, शायद उतना विवेकी न होऊं या उनके समान विदेश नीति की समझ-बूझ मुझे न हो, लेकिन एक चीज जिसकी मुझमें कमी नहीं है, वह है साहस और इसीलिए जब किसी ने यह पूछा कि क्या हमने यह सुविधा दी है, मैंने कहा, हां। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मुद्दा यहीं समाप्त करता हूं।

मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा जो दूसरा अति महत्वपूर्ण मसला उठाया गया है, वह यह है कि क्या भारत सरकार गोर्बाच्योव के फार्मूले के बारे में कुछ कर रही है अथवा निष्क्रिय है। श्री गुजराल ने भी कहा था कि–वह बहुत ही सजग थे और हम निष्क्रिय थे। लेकिन मैं यह नहीं जानता। विगत एक माह में हमने इस मुद्दे पर गोर्बाच्योव से पांच बार विचार-विमर्श किया। आज भी हम लगातार उनसे सम्पर्क किए हुए हैं। इसका तात्पर्य उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि सोवियत संघ की सरकार से है। संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने कल या परसों से ही सुरक्षा परिषद के सदस्यों तथा गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देशों से यह सुनिश्चित करने के लिए सम्पर्क करना शुरू कर दिया है कि सुरक्षा परिषद के प्राधिकार पुन: दिलाए जा सकें तथा शांति प्रस्ताव को कतिपय लोगों के वास्ते न छोड़ दिया जाए। हमने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम सोवियत संघ के राष्ट्रपति के प्रस्ताव से सहमत हैं। इतना ही नहीं, हमने सभी उपाय और पहल किए हैं जिनका मैं विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहता। विगत एक महीने के दौरान उन सभी महत्वपूर्ण देशों के दूतों ने जो सद्दाम हुसैन के समर्थक हैं। दिल्ली का दौरा किया और हमसे विचार-विमर्श किया था। उनमें से किसी ने भी उतना प्रयास नहीं किया जितना हमारे मित्र श्री गुजराल ने किया है।

*** *** ***1

अध्यक्ष महोदय, सभी का यह कहना है कि हम सद्दाम हुसैन के विरोधी हो गए हैं और हमने उनसे अपना सम्बन्ध खराब कर लिया है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि फिलिस्तीन की समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण अब भी वही है। हमने सभी को कह दिया है कि फिलिस्तीनी समस्या पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। हमने यह भी कहा है कि इराक के साथ हमारी मित्रता अब भी यथावत है। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जब मिस्र में इराकी दूतावास को बन्द कर दिया गया था तो इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इराक के हितों की रक्षा करने के लिए भारत के अलावा किसी और देश को नहीं चुना था। यही स्थिति है। लेकिन यदि लोग यह समझते हैं कि वक्तव्य देना या भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करना या किसी की ओर उंगली उठाना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भाग है तो मैं यह नहीं जानता।

*** *** ***2

आज भी, जबकि सरकार इस समस्या के समाधान के प्रयास में जुटी है, मैं अपने स्थाई प्रतिनिधि से बातचीत कर रहा था तथा विदेश मंत्रालय में उपमंत्री से बात कर रहा था, जो तेहरान और बगदाद जा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए श्री नरसिंह राव और अन्य व्यक्तियों के साथ श्री राजीव गांधी मास्को जा रहे हैं और रास्ते में वह तेहरान रुकेंगे। केवल राजीव गांधी ही नहीं, बल्कि मेरा श्री गुजराल से भी अनुरोध है कि वह भी प्रयास करें, क्योंकि उनके सद्दाम हुसैन और अन्य लोगों के साथ अच्छे सम्बन्ध प्रतीत होते हैं। मैं उनका सहयोग लेने के लिए तैयार हूं। यदि कोई उस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के प्रयास करता है तो यह प्रशंसनीय है। जब मैंने कहा कि मैं इस मुद्दे पर देश का विभाजन करना नहीं चाहता तो मेरा वास्तव में यही तात्पर्य था। हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं।

महोदय, यदि वे मेरी बात नहीं समझ सकते तो मैं इसमें सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मैं तर्क दे सकता हूं, तथ्य प्रस्तुत कर सकता हूं परन्तु बात समझने के लिए मैं दिमाग नहीं दे सकता।

नरसिंह राव ने एक प्रश्न पूछा है। ऐसा ही प्रश्न दूसरी भाषा में मेरे सहयोगी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पूछा था। नीतिगत प्रश्नों के बारे में मैं आपको आश्वासन देता हूं कि गुटनिरपेक्ष नीति अब भी संगत है क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ताकत, चाहे अमेरिका की हो अथवा दूसरी, किसी विशेष क्षेत्र में शांति बहाल करने की जिम्मेदारी लें। यदि किसी क्षेत्र में ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी तो इसका हम पर भी प्रभाव पड़ेगा। हम अपने हितों के प्रति जागरूक हैं। श्री चित्त बसु ने कहा है कि हमें अमेरिका की निन्दा करनी चाहिए। मेरी निन्दा करने की राजनीति नहीं है। उन्हीं की सरकार ऐसा कार्य करती है। मैं लोगों की निन्दा नहीं करता हूं। मैं कुछ विशेष लोगों और राष्ट्रों के कार्यों की निन्दा करता हूं। यदि उन्होंने समाचार-पत्र पढ़े होंगे तो उन्हें यह मालूम होगा। जिस दिन अमेरिका के उप-राष्ट्रपति ने यह कहा था कि वह कभी भी आणविक हथियारों का प्रयोग कर सकेंगे तो मैंने कहा था कि यह मानवता के प्रति अपराध है। मैंने कहा था कि आणविक हथियारों के प्रयोग तथा रासायनिक युद्ध की बात करना मानवता के प्रति अपराध है। अध्यक्ष महोदय हम इसका विरोध करते हैं। परन्तु स्थिति से निपटने के कुछ तरीके हैं। कुछ लोग समझते हैं कि उन्हें कुछ लोगों के विरुद्ध साहस के साथ अपने विचार व्यक्त करने चाहिए और कुछ लोगों में आत्म-निन्दा और आत्म-ग्लानि की प्रवृत्ति होती है। वे कहते हैं कि भारत कुछ नहीं कर सका है भारत को पीछे धकेल दिया गया है। फ्रांस, चीन, इरान और सोवियत संघ का क्या हो गया है?

*** *** ***3

कल? उनके प्रस्तावों का विवरण मेरे पास है। मैं अभी उन बातों को पढ़ता हूं। (1) इराक बिना किसी शर्त के कुवैत से अपनी सेनाओं की वापसी की घोषणा करती है; (2) युद्ध विराम होने के बाद दूसरे दिन सेनाओं की वापसी शुरू होती है; (3) सेनाओं की वापसी एक निश्चित समयावधि में होगी; (4) कुवैत से दो-तिहाई इराकी सेनाओं की वापसी के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा इराक पर लगाए आर्थिक प्रतिबन्ध हटा लिए जाएंगे; (5) कुवैत से इराकी सेनाओं की वापसी के अन्त में वे सभी कारण दूर हो जाएंगे जिनकी वजह से संकल्प लगाए गए थे इस प्रकार ये संकल्प निष्प्रभावी हो जाएंगे; (6) युद्ध समाप्त होने के तुरन्त बाद युद्ध बन्दियों को

छोड़ दिया जाएगा; (7) सेनाओं की वापसी की निगरानी उन देशों के द्वारा की जाएगी जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में सम्मिलित नहीं हैं। यह कार्य सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा; और (8) विशेष विवरण सम्बन्धी कार्य जारी रहेगा। इस कार्य का अन्तिम निर्णय संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्यों को आज बता दिया जाएगा। यही बताया गया है।

यह संयोग की बात हो सकती है। मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता। इन आठ बातों में से चार बातें शुरू में संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधि द्वारा आम राय के लिए सुरक्षा परिषद में उठायी गई थीं। यह सरकार के लिए संयोग की बात है अथवा इसका सौभाग्य है।

इस प्रकार आप भी यही कर रहे हैं। यदि आप हमारी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं तो हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। मुझे बताया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इस पर कुछ आपत्ति है। मुझे बताया गया है कि एक स्थिति में उन्होंने कहा है कि वे अपने सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श करके निर्णय करेंगे परन्तु निचले स्तर पर किसने बताया है कि वे सोवियत संघ के इस फार्मूले अथवा प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे। यह बड़ी भूल होगी। मैं इस सभा की ओर से अपील करना चाहता हूं कि श्री जार्ज बुश को इस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इससे कोई निष्कर्ष निकालने के लिए सार्थक बातचीत की शुरुआत होती है। मुझे उनकी आपत्तियों के बारे में सूचना मिली है परन्तु मैं नहीं सोचता कि अमेरिका के राष्ट्रपति की आपत्तियों के बारे में बात करना दूरदर्शिता होगी। मुझे आशा और विश्वास है कि वह अपने सहयोगियों से विचार-विमर्श कर कोई निष्कर्ष निकालेंगे क्योंकि युद्ध में किसी की विजय नहीं होती है। युद्ध में केवल मानवता की पराजय होती है। जनता की परेशानी और कष्ट के कारण हमें इसके बारे में सोचना पड़ता है। हम इसके प्रति बड़े चिंतित हैं। श्री फैलीरो ने बताया है कि हम विशेष रूप से इसलिए चिंतित हैं क्योंकि इसमें हमारे नागरिक सम्मिलित हैं। आज भी 5,000 से अधिक हमारे नागरिक कुवैत में हैं इसलिए हमें इसके बारे में चिन्ता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने अन्तिम समय तक कुवैत से आने के लिए मना कर दिया था। मैं इसका विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहता कि समय-सीमा स्थगित करने तथा कुछ अन्य उपाय करने के बारे में हमने क्या पहल की है। हमने बार-बार प्रयास किया है परन्तु कुछ लोगों के हठी दृष्टिकोण के कारण केवल भारत की ही आवाज नहीं सुनी बल्कि सोवियत संघ, चीन, ईरान। श्री यासर अराफात जैसे मित्रवत व्यक्तियों तथा फ्रांस की आवाज से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मुझे विश्वास है कि अब वातावरण बदल गया है और मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है क्योंकि हम अरब विश्व की घटनाओं से जुड़े हुए हैं। हमारे सम्बन्ध बहुत पुराने हैं। मैं इतिहास का उल्लेख करना नहीं चाहता अन्यथा मैं श्री जसवन्त सिंह और श्री गुजराल द्वारा पैदा किए गए विवाद में फंस जाऊंगा। मैं इतिहास का उतना अच्छा शिष्य तो नहीं हूं परन्तु इतिहास इस बात का साक्षी है कि अरब देशों के साथ विशेष रूप से इराक के साथ हमारे सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हम कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि इराक का विभाजन हो। हम चाहते हैं कि उसकी राजनैतिक एकता तथा अखंडता कायम रहे। मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त यह जानना चाहते थे कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प के पक्ष में हैं अथवा नहीं। यदि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में रहना है तब हमें इस संकल्प का पालन करना होगा परन्तु प्रश्न उनके व्याख्या करने का है, यह देखने का है कि उनकी परिधि कहां तक जाती है, तथा यह देखना है कि इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने के लिए हम इसे

किस प्रकार से देख सकते हैं। यह संवेदनशील मामला है। मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे उस प्रधानमंत्री को कुछ छूट दें जो कभी भी सरकार में नहीं रहा है तथा जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की कभी कोई जानकारी नहीं रही। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व में हो रही घटनाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में अन्य सभी सदस्यों को अधिक जानकारी है। परन्तु मुझे अपने राजदूत, विदेश मंत्रालय तथा कभी-कभी आप सब द्वारा जारी किए गए विलक्षण वक्तव्यों से जो भी जानकारी मिलती है, मैंने उन सभी पर गौर करने की तथा आप सबकी अपेक्षाओं के अनुकूल कार्य करने की कोशिश की है। यदि इस मामले में कहीं कुछ गलती हुई है तब भी आप इस मसले पर देश में मतभेद पैदा क्यों कर रहे हैं? क्या दूसरी समस्याएं नहीं हैं? अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि दूसरी सभा में सर्वसम्मति के संकल्प पारित किया गया है। अत: मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम सभी को इस समस्या के बारे में विश्व शांति, मानव अधिकारों विशेष रूप से विश्व के निर्धन राष्ट्रों, विकासशील विश्व के दलित तथा शोषित देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या के बारे में एकजुट होकर रहना चाहिए क्योंकि उन्हें हमसे काफी अपेक्षाएं तथा आशाएं हैं।

पश्च टिप्पण

III. **अमरीकी विमानों को ईंधन भरने के लिए रुकने के बारे में निर्णय 22 फरवरी, 1991**

1. **एक माननीय सदस्य** : आप खाशोगी से भी मिले थे।

श्री चन्द्रशेखर : जी हां, खाशोगी से भी। वह आपकी नजरों में कूटनीतिज्ञ होंगे। मेरी दृष्टि में नहीं। कई खाशोगियों से मिलता हूं। लेकिन मैं खाशोगियों की बात नहीं कर रहा, मैं अराफात की, अल्जीरियाई राष्ट्रपति की और चीन के प्रधानमंत्री की तथा ईरान के राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं और मैं उन लोगों की बात करता हूं जो इस मामले से जुड़े हैं और जिनका इस समस्या में महत्व है।

2. **एक माननीय सदस्य** : श्री राजीव गांधी के बारे में क्या विचार है?

श्री चन्द्रशेखर : मैं नहीं जानता कि श्री राजीव गांधी से आपका क्या तात्पर्य है। श्री राजीव गांधी इस समस्या का समाधान खोजने में सहायता दे रहे थे और मैं लगातार उनसे बातचीत कर रहा था और उनके सम्पर्क में था।

3. **श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : श्री राजीव गांधी ने भी ऐसा ही कहा है।

श्री चन्द्रशेखर : यदि श्री राजीव गांधी ने ऐसा कहा है तो वह भी कुछ कर रहे हैं। परन्तु कुछ लोग इन सब बातों को तो कह रहे हैं लेकिन वे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इतना अन्तर है। यदि आप कुछ करते हैं तो आप कुछ कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह मालूम करना चाहा है कि सरकार को सोवियत प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी है अथवा नहीं। हमें इसकी कुछ जानकारी है। परन्तु इसकी कुछ सीमाएं हैं। यदि सम्बन्धित सरकार कहती है कि यह गोपनीय बात है तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री को, चाहे वह कितना ही महत्वहीन क्यों न हो, समाचार पत्रों को बताने की स्वतन्त्रता नहीं है। यह सीमा है। परन्तु सोवियत रूस ने आज तास के माध्यम से इसको अपने आप उजागर कर दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : आज नहीं इसे कल उजागर किया था।

खाड़ी में व्याप्त स्थिति के बारे में वक्तव्य

25 फरवरी, 1991

जैसाकि माननीय सदस्यगण जानते हैं कि युद्ध बन्द कराने और खाड़ी क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिये 23 फरवरी को सुरक्षा परिषद द्वारा किये गये प्रयासों का कोई लाभ नहीं हुआ। जमीनी लड़ाई शुरू हो चुकी है और विगत दो दिनों से जारी है। इसके परिणाम वास्तव में विनाशकारी होंगे। इराक और कुवैत लगभग बिल्कुल नष्ट हो सकते हैं। इन दो देशों के हजारों लोगों के दु:ख उठाने और हजारों निर्दोष लोगों की जान जाने की संभावना है। इन विनाशकारी हथियारों के उपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जिनके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये मानवता के विरुद्ध एक अपराध है।

सुरक्षा परिषद में जिसकी बैठक सोवियत संघ की पहल पर बुलायी गयी थी और जिसमें श्री गोर्बाचोव ने प्रस्ताव पेश किये थे, भारतीय शिष्टमंडल ने दोनों पक्षों के बीच मतान्तर दूर कराने का तथा युद्ध बन्द कराने के लिये एक आधार तैयार करने का हरसंभव प्रयास किया था। इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए आधार रूप में एक दस्तावेज तैयार करने के हमारे परामर्श को अधिकांश सदस्य देशों ने स्वीकार कर लिया। वास्तव में एक समय तो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में मसौदा तैयार करने के कार्य को भारत, इक्वाडोर और ऑस्ट्रिया के जिम्मे सौंपने के बारे में सोचा था; दुर्भाग्यवश कुछ सदस्यों द्वारा कठोर रुख अपना लिये जाने के कारण कि वर्तमान स्थिति में सुरक्षा परिषद को कोई भूमिका नहीं निभानी है। परिषद के लिये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वाह करना असंभव हो गया। तब से सुरक्षा परिषद मूक बनी रही। हमने सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की सरकारों से उनकी राजधानियों में सम्पर्क स्थापित किया और उनसे अनुरोध किया कि वे न्यूयार्क में सुरक्षा परिषद में अपने प्रतिनिधियों को निर्देश भेजें ताकि सुरक्षा परिषद अपनी उचित भूमिका निभा सके। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच हम न्यूयार्क में सभी सदस्यों के प्रतिनिधियों से, यह देखने के लिए सम्पर्क बनाये हुए हैं कि सुरक्षा परिषद क्या कर सकती है, हमारा सर्वप्रथम कार्य निर्धारित समय के अन्तर्गत कुवैत से इराक की सम्पूर्ण वापसी के आधार पर युद्ध को बन्द कराना है। बिना और समय गंवाए सुरक्षा परिषद का इस शान्तिपूर्ण कार्य को करने का दायित्व अपने हाथों में लेना चाहिए।

*** *** ***1

पश्च टिप्पण

IV. **खाड़ी में व्याप्त स्थिति के बारे में वक्तव्य, 25 फरवरी, 1991**

सभापति : आमतौर पर ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जाती है।

1. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : महोदय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो कहा है वह एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। सुबह हमने यह मुद्दा उठाया था और हम चाहते हैं कि जमीनी लड़ाई शुरू हो जाने के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए सभा द्वारा एक संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाए। हमने विश्व समुदाय से अनुरोध करने की कोशिश की ताकि युद्ध रुक जाए। वह संकल्प अध्यक्षपीठ के पास है। इसका क्या हुआ?

श्री चन्द्रशेखर : यह सत्य है कि इस सम्बन्ध में एक सुझाव दिया गया था कि हमें सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करना चाहिए। सभा के कुछ वर्गों को इस पर कुछ आपत्ति थी।

एक माननीय सदस्य : किस वर्ग को?

श्री चन्द्रशेखर : लेकिन मैंने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा की थी और सभी सहमत थे कि सरकार को एक वक्तव्य जारी करना चाहिए। यह वक्तव्य उन्हें दिखाया गया था और सभी राजनैतिक दलों ने इस पर सहमति व्यक्त की थी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के गम्भीर मुद्दे पर सभा में मतभेद नहीं होना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम यह स्थिति स्वीकार करते हैं। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें जवाब दे रहे हैं।

प्रो. महादेव शिवनकर (चिमूर) : सभापति महोदय; मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो भारतीय नागरिक इराक में फंसे हुए हैं, उनको वहां से निकालने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं?

श्री चन्द्रशेखर : सभापति महोदय, इराक में भारतीय नागरिक 107 या 109 है, उनको इस समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले जब उनसे कहा गया तो उस समय वे आने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन चिंता ज्यादा कुवैत में है, जहां हमारे लगभग 5000 नागरिक अब भी हैं और उनमें से बहुत से लोग, लड़ाई छिड़ी थी, उससे पहले उसके तुरंत बाद भी आने को तैयार नहीं थे। आज दिक्कत यह है कि उनको निकालना बहुत कठिन है, असंभव तो मैं नहीं कह सकता फिर भी जितने लोग वहां पर उस लड़ाई में हैं, हमने उनसे निवेदन किया है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी सहायता वे कर सकें, करें।

प्रो. राम गणेश कापसे (ठाणे) : बगदाद स्थित हमारा दूतावास किस प्रकार बंद हो गया?

श्री टी. बशीर (चिरायिंकिल) : बगदाद स्थित हमारे मिशन को बन्द कर दिया गया है। अत:

मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या इराक में रह रहे हमारे देश के राष्ट्रिकों के संबंध में कोई व्यवस्था की गई है क्योंकि यह कहा जा रहा है, कि इराक स्थित हमारा दूतावास बन्द कर दिया गया है।

प्रो. राम गणेश कापसे : सभी राष्ट्रों के दूतावास वहां कार्य कर रहे हैं। केवल हमारा दूतावास ही बन्द किया गया है।

श्री चन्द्रशेखर : यह सत्य नहीं है कि सभी दूतावास वहां कार्य कर रहे हैं। 'दक्षेस' के सदस्य देश, खाड़ी देश या पश्चिमी जगत के किसी देश का दूतावास वहां कार्य नहीं कर रहा है। यदि मेरी जानकारी सत्य है, तो केवल दो-तीन देशों के दूतावास ही वहां कार्य कर रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार हम उन आखिरी तीन देशों में से हैं, जिन्होंने अन्त में अपना दूतावास खाली किया है। मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है। केवल क्यूबा और सोवियत संघ के थोड़े बहुत कर्मचारी वहां हैं। हमने किसी अन्य देश के साथ कोई व्यवस्था नहीं की है। हमने अपने कूटनीति कर्मचारियों से तेहरान में रहकर भारत के हितों को देखने के लिए कहा है।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : उन्हें अपने देश में वापिस लाने के लिए क्या किया जायेगा? क्या आप इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे? कुवैत में भी लगभग 4000 लोग हैं।

श्री चन्द्रशेखर : कुवैत की स्थिति के बारे में आपको पता ही होगा, उस स्थिति में लोगों को निकाल पाना असंभव है। हम इराक से लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जैसी युद्ध की स्थिति आज वहां बनी हुई है उसमें लोग घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में, मैं सदन को उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के बारे में कोई आश्वासन देने में अपने को असमर्थ पाता हूं।

प्रो. मधु दण्डवते (राधापुर) : यदि आप उनको निकालने की घोषणा करते हैं उस स्थिति में मार्ग में उनके लिए और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी।

देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाएं

25 फरवरी, 1991

अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर चर्चा आज दोपहर से चल रही है। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं यहां उपस्थित नहीं हो सका। मैं इस सदन की भावना को समझता हूं लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। उधर गल्फ में मानवता का संहार हो रहा है। मुझे दूसरे सदन में जाना पड़ा वहां गल्फ पर बहस थी।

पिछले दिनों जब यह चर्चा सदन में हमारे मित्र श्री मदन लाल खुराना और विजय कुमार मल्होत्रा ने उठायी थी तो मैंने उसी समय यह कहा था कि यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। हमारे देश में गरीब तबकों के ऊपर, जो शोषित उपेक्षित समाज है उसके ऊपर अत्याचार हो तो इसकी गम्भीरता बढ़ जाती है। जब इसमें शासन की वह इकाइयां जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर संदेह हो तो उसकी गम्भीरता और बढ़ जाती है। मुझे यह कहने में दु:ख होता है कि यह घटना ऐसी है जिनमें वहां के पुलिस के लोगों का व्यवहार संदेह से परे नहीं है। यह बात राज्य सरकार भी मानती है। जो जानकारी हमने प्राप्त की है उससे भी ऐसा लगता है।

पुलिस के कुछ अधिकारियों ने ज्यादती की और ज्यादती कोई ऐसी-वैसी नहीं, जिसमें कुछ निर्दोष लोगों की जानें गईं। अब उसमें कितने दोषी थे, इस आंकड़े में मैं पड़ना नहीं चाहता लेकिन अगर एक भी निर्दोष आदमी मारा गया या दोषी आदमी भी गलत तरीके से मारा गया तो यह गलत बात है। मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि उसकी पूरी जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे सजा भी मिलेगी।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बारे में कदम उठाए हैं और जांच हो रही है। हम समझते हैं जल्दी ही उसका परिणाम निकलेगा।

*** *** ***[1]

मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। यह सूचना है, यह सूचना गलत भी हो सकती है, मैं सदन में पहले ही कह दूं, लेकिन एक अजीब प्रश्न है, जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, आखिर अदालत ने किसी को जमानत दे दी हो तो सरकार के वश की बात नहीं है और सरकार की नीयत इस बारे में लेकिन अगर कोई असावधानी हुई है, किसी के जरिये तो उस असावधानी को हम लोग देखेंगे कि उसमें सुधार किया जाए।

देश एक अजीब लत से, एक संक्रमण काल से गुजर रहा है हमारे समाज का एक वर्ग जो हजारों वर्षों से शोषित और पीड़ित रहा है, वह इतिहास पर अपना पहला चरण रख रहा है, जो हमारे आदिवासी, हरिजन और कुछ गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वह समाज के उन

तबकों से आते हैं; जिनको आज से नहीं सैंकड़ों हजारों वर्षों से हमने कहा है कि तुम शोषित, पीड़ित, लांछित हो, तुमको प्रकृति ने, कुदरत ने, भगवान ने, खुदा ने बनाया है, यही जीवन लेकर तुम पैदा हुए हो लेकिन उन वर्गों के लोगों में चेतना आ रही है, जागृति आ रही है, दो कारणों से जागृति आ रही है, एक तो लोकतांत्रिक जनतंत्र में हम हर पांच वर्ष पर और कभी-कभी जल्दी ही उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं। प्रसन्न हो गये? अगर इससे प्रसन्न हो गये तो मुझे बहुत खुशी है।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम यह जाकर कहते हैं कि तुम्ही समाज को बनाने वाले हो, तुम्हारे बल पर कल का हिन्दुस्तान बनेगा तो एक तो जागृति के कारण आ रहा है, दूसरे समाज की अपनी एक गत्यात्मकता होती है, जिसको सोशल डायनेमिज़्म कहते हैं, चाहें हम चाहें, या ना चाहें समाज स्वयं में परिवर्तित होता रहा है, उसमें यथास्थिति नहीं रह सकती।

जब हम लोग विश्वविद्यालय में थे, उस समय हिन्दुस्तान में जितने विद्यार्थी विश्वविद्यालय में शिक्षा पा रहे थे, उतने ही विद्यार्थी आज हरिजन और आदिवासी परिवारों के विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षा पा रहे हैं। उनको दुनिया में क्रान्तियों के इतिहास बताये जाते हैं और वह जानते हैं कि किसी भगवान ने, किसी खुदा ने ना बराबर और शोषित, उपेक्षित नहीं बनाया, सामाजिक व्यवस्था ने आज के तर्जे अमल ने उन्हें शोषित और उपेक्षित बनाया है इसलिए वह अपना अधिकार चाहता है। अब हमें और आपको तय करना है कि हम उनकी आकांक्षा के अनुरूप, उनके जज्बातों के मुताबिक अपने को बदलेंगे, राज की नीति को सरकार के कार्यक्रमों को निर्धारित उस आधार पर करेंगे या शासन की दमनकारी शक्तियों का उपयोग करके उनकी आवाज को हम दबाने की कोशिश करेंगे।

दुर्भाग्य की बात यह है कि अब तक हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन आसान काम नहीं होता। व्यवस्था पर, जो लोग सम्पत्ति पर, शक्ति पर, राजसत्ता पर हावी होते हैं, आसानी से अपने हितों की तिलांजलि नहीं दे सकते।

*** *** ***2

यह बात सही है चिल्लाते वहीं हैं जो डरते हैं। जिनको डर नहीं होता है, वे चिल्लाते नहीं हैं। इसलिए, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमको परिवर्तन की धारा को तेज करना होगा और हमारे मित्र ने अभी पूछा, मैं स्पैसिफिक रूप से कहता हूं, अगर इस स्थिति को मिटाना है तो हमको परिवर्तन की धारा को तेजी से लेना पड़ेगा। उन वर्गों के हित में काम करना होगा, जो वर्ग आज तक शोषित और उपेक्षित रहे हैं। यह सही है कि कानून और व्यवस्था की बात है, यह सही है कि इसमें पुलिस की कमजोरी है, यह सही है कि इसमें प्रशासन की कमजोरी है, लेकिन कमजोरी हमारी सामाजिक व्यवस्था की भी है, उस सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा और उस दिशा में हमें कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि जो लोग आज जिन अत्याचारों की बात करते हैं, वे सही दिशा में कम से कम इतना तो कदम उठा रहे हैं कि सामाजिक चेतना की धारा को समझने लगे हैं। जो सामाजिक चेतना आज अपना स्थान मांग रही है और उस सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने की मांग करती

है, जिस सामाजिक व्यवस्था के अन्दर इस तरह का शोषण और इस तरह का दमन संभव हो सका है। मुझे विश्वास है कि मानसिकता बनी रहेगी। जब हम आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करेंगे, तब हम समाज को बदलने के लिए कदम उठाएंगे। उस समय हम कहीं बगलें न झांकने लगें। इस बात को सोचना चाहिए कि मानव पीड़ा को केवल व्यक्तिगत घटनाओं में न देख कर मानव पीड़ा को सामाजिक परिवर्तन के परिवेश में देखने की हमको शक्ति प्राप्त करनी होगी।

मुझे विश्वास है कि आज इस सदन में जो बहस चली है, वह बहस सही दिशा में है। लेकिन इस बहस को इसकी मंजिल तक पहुंचाना होगा, इसको, गंतव्य तक पहुंचाना होगा और बड़ा अच्छा होगा यदि यह सदन इस बात पर तत्पर हो, इस बात के लिए तैयार हो कि हम सब मिलकर उस सामाजिक परिवर्तन को लाने की कोशिश करें, जिस सामाजिक परिवर्तन में कोई हरिजन और आदिवासी बेबस न हो, कोई लाचार न हो और कोई उस दमन का शिकार न बनने पाये। लेकिन मुझे दु:ख के साथ और संकोच के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे मित्रों में इस सवाल पर एकता दिखाई पड़ती है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की नीतियों के सवाल पर हम सदन में वह एकता नहीं देख पाते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर हमारे मित्र जो इधर बैठे हुए हैं और उधर बैठे हुए हैं, दोनों मिलकर के सामाजिक परिवर्तन की धारा को तेज करने में साथ काम करेंगे देश को उस दिशा की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। आपकी नजर में मैं दकियानूसी हूंगा, लेकिन प्रगतिशीलता जहां पर है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं।

जहां तक लॉ एण्ड आर्डर का सवाल है, कानून और व्यवस्था का सवाल है, मानव जाति का सवाल है, उसमें कोई अन्तर नहीं है, चाहे वह बिहार हो, यू.पी. हो। मैं एक बात और देखता हूं, हर सवाल को हम ऐसा समझते हैं कि एक दलगत सवाल है। मौत दलगत नहीं होती है, मौत जहां होती है, वहां इंसानियत का कत्ल होता है और उस पर कोई राजनीतिक मतभेद लगाने का सवाल नहीं उठता है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि कम से कम कुछ सवालों पर तो हम एक मत हो करके बोलें। अगर किसी के द्वारा सरकार की ओर से यह कहा गया होता कि वहां जो हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, तो बात समझ में आती है। हमारे कई मित्रों ने रास्ता दिखाया और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि सरकारी अधिकारियों ने बड़ा अच्छा काम किया है तो मैं पहला आदमी होऊंगा, आपके साथ यह कहने में कि उत्तर प्रदेश सरकार की भर्त्सना करते हैं अगर मैंने कभी कहा हो, जो वहां पर हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, जहां आदमी मरता है, बेकसूर आदमी मरता है और वह हम सबके लिए कलंक की बात है।

*** *** ***3

मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग इस सवाल के ऊपर एक मत होकर के इसका प्रतिकार करें और मैं अपने मित्र श्री विजय कुमार और श्री खुराना जी से कहूंगा उन्होंने जो सवाल उठाया, यह महत्त्वपूर्ण सवाल उठाया। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं और इस बात

के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि इस ज्वलंत समस्या की ओर इस सदन और देश का ध्यान उन्होंने आकृष्ट किया है। उनकी प्रेरणा से हमें भी प्रभावी ढंग से कार्य करने की शक्ति मिलेगी, लेकिन इसमें दोनों की मंशा पर आप कोई आक्रमण न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम जानते हैं कि आप जैसे, शायद हमारे मन में उनके लिए ममता न हो लेकिन मानवता के प्रति थोड़ा हमारे दिल में भी ममत्व है। यह स्वीकार करके आप काम करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या बिहार सरकार हो, इस बारे में किसी को भी मतभेद नहीं खड़ा करना चाहिए। हर सरकारें मिल करके इस हालत को बदलें; यही हमारी धारणा है और यही हमारा प्रयास होगा। हरिजन और आदिवासियों के दिलों में जो विश्वास और शंका है, उस विश्वास और शंका की भावना को और अधिक मत बढ़ाइए, क्योंकि शंका, संदेह और भय अगर लोगों के मन में बैठ जाता है तो परिस्थितियां जटिल हो जाती हैं।

मैं सदन के माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि जो कठिनाइयां, गलतियां और बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए आप कोशिश जरूर करें लेकिन कृपया ऐसा काम न करें जैसे साजिश, षड्यंत्र हो रहा है, सारे हरिजनों और आदिवासियों को पीड़ित और प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। अगर ये भावना देश के अन्दर फैलाओगे तो इस सदन की ओर हरिजन और आदिवासी आशाभरी निगाह से नहीं देख पाएंगे। उसके लिए फ्रसट्रेशन और डेसपेयर (निराशा और अन्धकार) के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा और निराशा और अन्धकार का रास्ता भयावह रास्ता होता है। आप त्रिपुरा से तमिलनाडु तक देख लीजिये, आदिवासी इलाकों में आज एक बेचैनी, पीड़ा और दर्द है, उस बेचैनी और दर्द को और अधिक आगे न बढ़ाएं। उस बेचैनी को दूर करने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करें, हमारा यही निवेदन होगा।

*** *** ***4

पश्च टिप्पण

V. देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाएं, 25 फरवरी, 1991

1. **एक माननीय सदस्य** : अरेस्ट तो नहीं किया किसी को अभी तक।

श्री चन्द्रशेखर : मैं उसका उत्तर दूंगा। मुझे यह कहा गया कि एक अधिकारी, जिसको गिरफ्तार करने की बात की गयी है, वह फरार है और कुछ लोगों की जमानत करा ली गयी है, इस कारण गिरफ्तारी नहीं हुई। जानबूझकर किसी को नहीं छोड़ा गया है।

श्री राजवीर सिंह : 302 की जमानत हो गई एडवांस में? हमारे यहां गांव का आदमी कोर्ट में जाता है। इसी से नीयत का मालूम पड़ जाता है। 302 में जमानत नहीं होगी।

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : जमानत कोर्ट से होती है।

2. **डॉ. विप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण)** : इधर-उधर की बातें करने से अच्छा होगा कि आप विशिष्ट मुद्दे और घटना की बात करें जिस पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप प्रतापगढ़ गये थे या नहीं?

श्री चन्द्रशेखर : अगर शोर करना है तो ठीक है, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। दोनों तरफ से करो, हमें कोई एतराज नहीं है।

3. **श्री राम विलास पासवान** : उसको तो प्राइज दिया है, प्रधानमंत्री जी।

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं जानता हूं, अगर उसको कोई इनाम दिया गया है, जैसा हमारे मित्र राम विलास पासवान जी कहते हैं, तो मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर वह आदमी दोषी है, मैं इस बारे में जरूर जांच करूंगा, तो उनको सजा मिलेगी। इसमें क्या बात है। अगर कोई गलती हो गई है, मैं यह नहीं कहता हूं कि हमसे गलती नहीं होती है, हम देवदूत तो नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं वो सीधे स्वर्ग-लोक से सीधे धरती पर उतरे हैं और उनको कोई क्षोभ नहीं है लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं। मैं तो आप जैसा एक साधारण नागरिक हूं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं और उन गलतियों को स्वीकार करने के लिए हम हर-समय तैयार हैं। मैं यह नहीं कहता कि जितने काम हो रहे हैं, वे सब सही हो रहे हैं। गलतियां जहां होंगी, अगर आप उनकी ओर संकेत करेंगे तो मैं अपने मित्र श्री राम विलास जी को आश्वासन देता हूं।

श्री शरद यादव (बदायूं) : देवदूत कौन उतरा है यहां पर, यह समझ नहीं पाया। यहां कोई नहीं कहता है, हम देवदूत हैं; हम देवदूत उतरे हैं यहां।

श्री चन्द्रशेखर : मैं उनको देवदूत नहीं मानता हूं क्योंकि वे हमारे ही साथ दो दिन काम किए हैं। वे हमारे ही जैसे साधारण कार्यकर्ता हैं; लेकिन देवदूत होते हैं और आप उनको हमारे से ज्यादा जानते हैं और उनसे परिचित हैं।

4. **उपाध्यक्ष महोदय** : जो कुछ भी अनुमति के बिना बोला जाएगा वह कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा।

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री कौन-से निवारक कदम उठा रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि आप इस सभा के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाएं और इस बारे में निर्णय लें कि ऐसी घटनाओं को दुबारा न होने देने से रोकने के लिए कौन-से निवारक कदम उठाए जाएं और सरकार उस निर्णय का अक्षरश: पालन करेगी।

श्री सत्यनारायण जटिया : उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार भी इस बारे में घोषणा कर सकती है। केन्द्र सरकार उनको सहायता दे सकती है।

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, जबकि इस प्रकार की घोषणा करना मेरे लिए उचित नहीं है लेकिन चूंकि सदस्य बहुत चिंतित और उत्तेजित हैं इसलिए भारत सरकार धन देगी ताकि प्रत्येक मृतक व्यक्ति के परिवार को कम से कम एक लाख रुपया मिल सके। यदि उत्तर प्रदेश अथवा बिहार सरकार ने कुछ क्षतिपूर्ति दी है तब वह भी इसमें शामिल होगी।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हमारे गृह राज्य मंत्री बिहार के मसौढ़ी थाने में गए इसके लिए हमें संतोष है, ऐतराज नहीं है, पर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ इलाके में या बेगूसराय में जहां पर हत्याएं हुई, वहां पर प्रधान मंत्री जी या गृह राज्य मंत्री जी नहीं गए, यह फर्क क्यों किया, क्यों नहीं वहां पर जा सके?

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य का ऐतराज सही है, मैं वहां नहीं गया और दूसरी जगह राज्य मंत्री गए। इस जगह पर भी कोई मंत्री या स्वयं मैं चला जाऊंगा, अगर इससे उन लोगों को ढाढ़स और संतोष होता है तो इस संतोष को देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं।

देश में संवैधानिक संकट

6 मार्च, 1991

अध्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस सदन में चर्चा हो रही थी। मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा कि बहुत से सदस्यों की बातों को मैं नहीं सुन पाया। कई सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और देश के सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में जिक्र किया। मैं सब समस्याओं की चर्चा करना न आवश्यक समझता हूँ, न उचित, क्योंकि, कई बार उन समस्याओं के बारे में इस सदन में चर्चा हो चुकी है लेकिन कुछ मौलिक सवाल जो उठाये गए हैं, उनके संदर्भ में मैं दो-चार शब्द ही कहना चाहूंगा।

मैं सबसे पहले तो उन सवालों को लेना चाहूंगा, जो माननीय श्री रामकृष्ण यादव ने उठाये। यद्यपि वह अन्तिम वक्ता थे, लेकिन उन्होंने मौलिक सवाल उठाये, मानव मर्यादा के सवाल, गरीबी, पीड़ा और भूख के सवाल, जो सवाल हमारे देश के सवाल हैं।

आजादी की लड़ाई के बाद हमने जो संविधान बनाया, उसमें मानव मर्यादा की हमने प्रतिष्ठा करने का संकल्प लिया। हमने यह भी कहा कि हमारी जनशक्ति ही सबसे बड़ी सम्पदा है और उसी के सहारे हम इसको बना सकते हैं। महात्मा गांधी ने हमको कहा कि श्रम की प्रतिष्ठा करना अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम एक नया भारत नहीं बना सकेंगे। इन सवालों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा और ध्यान देना चाहिए था, पहले भी, लेकिन दुःख है कि इन सवालों पर हम ध्यान नहीं दे सके लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन सवालों की ओर संकेत नहीं किया गया। जब राष्ट्रपति ने पुनर्निर्माण के लिए विशेष कोष बनाने की बात कही तो उसके पीछे भावना निहित थी कि करोड़ों लोगों की जनशक्ति को, बाहों की ताकत को हम इस धरती पर लगाकर एक रचना का नया पर्व बनायें। हमने यह भी कहा की रचनावाहिनी के जरिये करोड़ों युवकों और युवतियों को देश की गरीबी, भूख, निरक्षरता, विषमता को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाये, क्योंकि, यही सम्पदा है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति दे सकती है।

श्री रामकृष्ण यादव ने एक बात कही कि हमारा दुर्भाग्य है कि हजारों वर्षों की सभ्यता और संस्कृति में जहां अनेक उदात्त भावनाएं हैं, अनेक रूढ़ियों के कारण, जाति के नाम पर हमारे देश में हरिजन और आदिवासी, हमारे पिछड़े लोग, इनके साथ समता का व्यवहार नहीं होता, उनके मन में एक पीड़ा है, उनके मन में एक दर्द है, उस दर्द को मिटाने के लिए उनकी भावनाओं को समझकर उनको समाज में विशेष अवसर देने का काम करना होगा।

हमारे देश में पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़ी जातियों से आते हैं और गरीबी भी उनके पल्ले पड़ी है इसलिए उनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्होंने यह भी सवाल उठाया, और कई अन्य सदस्यों ने उठाया कि भारत में हमेशा हमने सब धर्मों का आदर किया, समभाव से देखा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में मैं कहूं, साम्प्रदायिकता का सवाल हमारे देश में एक बड़ा सवाल बन गया है और हमारे देश

में धर्म के नाम पर भाई-भाई के खून का प्यासा हो रहा है। कोई धर्म, कोई मजहब आपस में लड़ना नहीं सिखाता। इस संसद में हमने बार-बार इस संकल्प को दोहराया है कि सभी धर्मों को हम साथ लेकर चलेंगे। उस दिशा में काम करने की जरूरत है।

बेरोजगारी का सवाल हमारे देश के सामने है। जो दौलत है, हाथों की ताकत, उसका इस्तेमाल नहीं होता और इसलिए पहले कहा गया था कि हम काम के अधिकार को मौलिक अधिकार मानेंगे लेकिन मौलिक अधिकार मानने के साथ-साथ काम के नये अवसर बनाने होंगे और काम के नये अवसर यदि बनाने हैं तो जो सीमित साधन हमारे देश में हैं, उन साधनों का उपयोग हमें सोच-समझकर करना होगा। जो सीमित साधन हैं, वैभव के लिए उनका इस्तेमाल हो या बेबसी मिटाने के लिए इस्तेमाल हो यह बात हमें तय करनी पड़ेगी। हमने तो यही कहा था, राष्ट्रपति जी ने यह कहा था कि वैभव और बेबसी के बीच में जो खाई है, इसको मिटाने के लिए हमें नए कदम उठाने पड़ेंगे। हमें किसी के वैभव से कोई झगड़ा नहीं कोई लड़ाई नहीं, लेकिन अगर बेबसी के इलाके में उम्मीद का एक नया चिराग जलाना है तो वैभव के लोगों को थोड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये नीतियां इस देश में बनानी पड़ेंगी और इसलिए योजना की बात हमारे देश में उठाई गई। सन् 1950 में योजना आयोग बना, हमारे पुराने मित्र और नेता यमुना प्रसाद शास्त्री जी ने यह कहा था, योजना आयोग की बातें नहीं की गईं। अगर उन्होंने देखा होगा, तो हमने कहा था उस भाषण में, 31 मार्च तक आठवीं योजना का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। हम योजना को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं। सीमित साधनों में बड़े देश की आकांक्षाओं को पूरा करना है तो योजना की प्राथमिकता देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और उसी हिसाब से योजना आयोग ने काम किया है इन पिछले दिनों में और आज भी वह काम कर रहा है।

हमारे माननीय मित्र, श्री सोमनाथ चटर्जी ने बार-बार श्रमशक्ति के सवाल गरीबी के सवाल और बेकारी के सवालों को उठाया। हम समझते हैं कि अगर बेकारी नहीं मिटेगी तो उससे मन में संताप पैदा होगा। गरीबी स्वयं में एक अभिशाप है, लेकिन मन का संताप, जो बेकार के मन में पैदा होता है, वही समाज को तोड़ देता है और समाज में उच्छृंखलता पैदा हो जाती है। कुछ मित्रों ने असम के बारे में, पंजाब के बारे में और कश्मीर के बारे में सवाल उठाए। मैं आभारी हूं, नेता, विरोधी दल, आडवाणी जी का, कि उन्होंने इन सवालों की अहमियत को समझा है। पंजाब में हमारी बराबर कोशिशों के बावजूद भी स्थिति अभी सामान्य नहीं है। आज भी वहां पर कत्ल हो रहे हें, लेकिन हमने बराबर एक ही यह प्रयास किया कि यह मौत का माहौल बन्द करो। आपसी बातचीत के जरिए इस समस्या का हल करो और मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले तीन महीनों में, मैं यह नहीं कहता हूं कि हालात बदल गए हैं, लेकिन तनाव में जरूर कमी हुई है और हमने वह कोशिश की तथा उस हालात को हम और आगे बढ़ाना चाहते थे। हम यह नहीं कहते कि धरती पर कोई स्वर्ग उतर आया है। न मैंने कभी यह वायदा किया था, न आज यह कह रहा हूं, मैं मानता हूं—

"माना कि हम चमन को गुलजार न कर सके।
कुछ खार तो कम कर सके, गुजरे जिधर से हम।।"

हम चमन को गुलजार नहीं कर सके, जिस रास्ते से हम गुजरे उस रास्ते में भले ही हमारे पैरों में कांटे आए हों, लेकिन हमने रास्ते के कांटे कम किए हैं। हमारे भाई इन्द्रजीत गुप्त जी ने हमें सलाह दी, सलाह सही थी, उन्होंने यह कहा कि चन्द्रशेखर जी को सोचना चाहिए। मैं कहता हूं—मैं जरूर सोचता हूं और मैं जानता हूं किस पर विश्वास करूं और किस पर न करूं, कभी इधर से और कभी उधर से, अनुभव एक जैसा ही होता है, लेकिन मै उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं जानता हूं जब देश पर संकट है, जिस संकट का जिक्र एक-एक सदस्य ने किया है, तो क्या इस संकट का सामना करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम देश में आत्मविश्वास और आपसी विश्वास का माहौल बनायें और एक-दूसरे पर आस्था रखें। हम यह नहीं कहते कि कोई आदमी पूरी शक्ति रखता है, पूरी क्षमता रखता है। मैंने बहुत लोगों से कुर्बानी के सबक सीखे हैं। हमारे कई मित्रों ने कहा कि आकांक्षाओं को दबाकर रखना चाहिए, एम्बिशन में अंधा नहीं हो जाना चाहिए। जब मैं यह उन लोगों से सुनता हूं जो एम्बिशन पूरा करने के लिए कई बार मेरे दरवाजे पर आकर कह चुके हैं, तो मुझे दुःख होता है, तकलीफ होती है और कुछ नहीं कह सकता। मैं आपसे अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं क्योंकि इस सदन के जरिए मैं इस देश को बताना चाहता हूं कि यह पर्सनल-एम्बिशन नहीं है, यह व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है। अगर देश में संकट में हम जरूर विश्वास का माहौल बनाना चाहते थे और अगर वह हमारी गलती है, तो उससे हमारे लोगों को प्रसन्नता हो जाती है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। अगर किसी ने धोखा दिया है, तो दुनिया में एक महापुरुष नहीं है, जिसको धोखा न हुआ हो। धोखा देना बुरा है, धोखा खाना बुरा नहीं है। हमने धोखा किसी को नहीं दिया है, न इधर के लोगों को दिया है और न उधर के लोगों को दिया है। धोखा देने वाले अगर बार-बार प्रयास करते हैं और बार-बार मैं धोखा खाता हूं, तो मैं इसको अपने जीवन की उपलब्धि मानता हूं। मुझे एक बात आडवाणी जी ने या किसी और मित्र ने या इन्द्रजीत गुप्त जी ने कही या कहा जाएगा कि दोनों ने कही, विरोधी पार्टियों की ओर से सरकार गिर गई। अगर सरकार आती है तो विरोधी पार्टियों की ओर से नहीं जाएगी, सरकार जाएगी उनकी वजह से जो हमारे समर्थक लोग हैं। इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और क्यों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, क्या करेंगे, मुझे नहीं मालूम? लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष की आलोचना मैं समझ सकता हूं, विरोधी पक्ष की ओर से आक्रमण को मैं समझ सकता हूं, लेकिन समर्थन देने वाली पार्टी की निष्क्रियता, अक्षमता और उसकी गैर-हाजिरी ये इतिहास की एक निराली घटना है जिसको मैं अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन नए मानदंड बन रहे हैं। आप यह मत समझिए कि मैं गुस्से में हूं हमारे कई मित्र कह रहे थे कि मैं गुस्से में हूं, दुःख में हूं, न मैं गुस्से में हूं और न मैं दुःख में हूं। मित्रों के मुताबिक तो मैं किसी पद पर पहुंचने लायक था ही नहीं, जो इधर बैठे हुए हैं, जो बड़े ऊंचे पदों पर सरकार में थे, उनकी योग्यता, क्षमता, कुर्बानी और बलिदान ऐसा था कि उनके लिए आरती उतर रही थी सत्ता की कि बार-बार आओ। हमको तो कभी किसी ने पूछा नहीं और पहला मौका मिल गया, मैं उसमें कूद पड़ा। अगर यह कहने में आपको संतोष है तो कम से कम अपने मन की अनर्गल भावना से आप अपने छोटेपन को दिखा सकते हो, मेरे व्यक्तित्व को छोटा नहीं कर सकते हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि 1968-69 से पहले 1962 में पहली बार मैं पार्लियामेंट में आया और 1990 तक अगर मैं अपनी भावनाओं को दबा कर रख सकता था तो 1990 में भी दबा करके रखता और उसी की वजह से नहीं दबा सका, जिसका जिक्र हमारे माननीय आडवाणी जी ने किया है। मैं समझता हूं कि देश के सामने संकट है, देश खतरे में जा रहा है। जो संवैधानिक खतरा आज आडवाणी जी बता रहे थे, मैं समझता हूं मेरी समझ गलत हो सकती है, मेरा निर्णय गलत हो सकता है। लेकिन मैं समझता था कि देश को रसातल में ले जाने की जो साजिश हो रही है उस साजिश को मैं रोकूंगा, जितनी मेरी शक्ति है। मैं कोई इतिहास का आखिरी व्यक्ति नहीं हूं, इतिहास के आखिरी व्यक्ति तो वे पैदा हुए हैं जिसके साथ राजनीति शुरू होती है और राजनीति का अन्त होता है। मैं तो उन लोगों में से हूं जो समझते हैं कि गांधी जी नहीं रहे, जयप्रकाश नहीं रहे तो यह देश चल रहा है, तो चन्द्रशेखर के बिना भी यह देश चलेगा। कुछ लोग मूल्यों वाले लोग हैं जिनके बिना यह देश नहीं चल पाएगा।

मैंने यह कोशिश की, उस कोशिश से क्या हुआ, क्या नतीजा निकला उसका यह देश और दुनिया निर्णय करेगी और उसका निर्णय हुआ है, इस देश के अन्दर भी और दुनिया के अन्दर भी। मैं अपने दोस्तों से यह कहना चाहूंगा कि कई लोगों ने जिक्र किया, न केवल देश के अन्दर संकट है, गरीबी, भूख-प्यास, बेकारी, साम्प्रदायिक उन्माद का पिछड़ों और गरीब आदिवासियों और हरिजनों के दिलों में एक बुरे एहसास का, बस दुनिया में ऐसी ताकतें उभर रही हैं जो शान्ति के लिए खतरा पैदा कर रही हैं यहां पर खाड़ी युद्ध का जिक्र किया मैं उसके बारे में तफसील में कह चुका हूं, मैंने सोच-समझकर निर्णय किया और आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम पहले पेलस्टिन की आजादी के पक्ष में हैं लेकिन हम यह कभी नहीं समझ सके कि पेलस्टिन को आजाद कराने के लिए कुवैत के ऊपर अधिकार करना भी जरूरी है, अगर कोई तर्कशास्त्र हो, तो उस तर्कशास्त्र के पण्डित लोग ही उसको जानें। आज भी इराक के मामले में जिस दिन से युद्ध बन्द हुए, भारत अकेला देश है दुनिया में जो इराक के साथ खड़ा है। वहां की संरचना का काम, पुनर्रचना का काम, वहां के विकास का काम, वहां की जनता के दिल में होना चाहिए। आज पहली बार जब हिन्दुस्तान से मदद मांगी गई तो हिन्दुस्तान ने पहली बार पहल की कि कुवैत की पूरी तरह से हम मदद करेंगे और उसी तरह से इराक को भी हम मदद करेंगे; उसकी पुनर्रचना के लिए।

मैं यह मानता हूं कि किसी क्षेत्र की, किसी इलाके की हिफाजत की जिम्मेदारी उस इलाके के लोगों की है। कोई बाहर की ताकत आ करके वहां पर पुलिस का काम करे, इसको न हमने स्वीकार किया है और न आगे हम स्वीकार करने वाले है। लेकिन कुछ खुदाई खिदमतगार हैं, जो हर समय पहुंच जाते हैं, हर जगह पर और वे ये कहने लगते हैं कि हम ही दुनिया को चला रहे हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा इस सदन के तमाम सदस्यों से, विदेश नीति केवल कोरी कल्पना नहीं है, विदेश नीति कोई कविता की उड़ान नहीं है, विदेश नीति इस देश के हितों की रक्षा के लिए एक हथियार है, साधन है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे लिए राष्ट्र के हितों की रक्षा सर्वोपरि है और उस राष्ट्र के हितों की रक्षा करते हुए हम अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं होंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

मैं उस बारे में जानना नहीं चाहता, हम लोगों की एक परनिन्दा की आदत पड़ गई है,

आत्मग्लानि की आदत पड़ गई है हम मर गये, कोई नहीं पूछ रहे हैं, हम दुनिया में पीछे हट गये, कहां हट गये, 85 करोड़ के देश को कौन पीछे हटायेगा, थोड़ा आत्मविश्वास रखें। प्रधान मंत्री की नहीं, यह देश के 85 करोड़ लोगों की शक्ति है, अगर हमें अमरीका की जरूरत है तो अमरीका को भी हमारी मदद की जरूरत है। थोड़ी-सी बात पर हाथ-पांव फूल गये, अमरीका के गुलाम हो गये। गुलामी जब दिमाग में भरी हुई होती है तो जुबान से बराबर वह निकलती है और कोई बात नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की एक बड़ी शक्ति है और उस शक्ति का हमें इस्तेमाल करना चाहिए चाहे चीन हो, या पाकिस्तान हो, या ईरान हो। मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया के सब राष्ट्रों ने भारत की भूमिका की प्रशंसा की है। और कुछ खुदाई-खिदमतगार हैं जिनको चारों तरफ अंधेरा दिखाई पड़ता है, अगर सूरज की रोशनी में किसी चिड़िया को दिखाई नहीं देता तो सूरज की रोशनी का कोई दोष नहीं, चिड़िया की आंख का दोष है। यही मैं कहना चाहता हूं, इसके अलावा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

हमको और आपको निर्णय करना पड़ेगा कि भारत किस ओर जाना चाहता है, भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या भारत इन ताकतों का पिछलग्गू बना रहेगा, वह किसी का पिछलग्गू नहीं है, हमारी स्वतंत्र पर राष्ट्र नीति है, हम गुट-निरपेक्ष के सिद्धांतों को मानते हैं, हम पिछड़े, विकासशील देशों के साथ एका बनाये रखना चाहते हैं और मैं अपने मित्रों को अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत की जनता हर समय जहां उपनिवेशवाद होगा, जहां शोषण होगा, जहां शांति का हनन होगा, वहां दबे हुए लोगों के साथ अपनी आवाज हम मिलायेंगे, यही हमारी नीति है, इसे हम ज्यों का त्यों बनाये रखेंगे।

कानून व्यवस्था की बात की गई। यह भी कहा गया कि कठपुतली की सरकार है और कहा गया कि इस कठपुतली की सरकार ने निर्णय लिये और निर्णय तो कोई मालूम नहीं हुए, एक तमिलनाडु का निर्णय है जिस पर बड़ी चर्चा होती है। पांडिचेरी भी और जोड़ दीजिए। पांडिचेरी की जो हालत है वह आप अखबारों में पढ़ लीजिए, अगर मेरी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है। मैं यहां पांडिचेरी के बजाय तमिलनाडु की बात करता हूं। इस सदन के अन्दर, इस सदन के अन्दर ही नहीं, बल्कि इस सदन के पहले वाले सत्र में मैंने विरोधी नेताओं से आपसी व्यक्तिगत बातचीत में जहां हमारे मित्र बैठे हुए थे उस समय मैंने कहा था, जब हमसे कहा गया कि आप एक विश्वास दिलाइये कि आप तमिलनाडु सरकार को भंग नहीं करेंगे, उस समय मैंने कहा चूंकि आप हमसे पूछ रहे है मैं एक ही विश्वास दिलाता हूं अगर तमिलनाडु की सरकार अपना रास्ता नहीं बदलेगी तो मुझे उसको भंग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जायेगा।

*** *** ***1

मैं इस तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहता, न इन विवादों की वजह से उन बातों को कहना चाहता हूं जिनसे लगे तमिलनाडु की सरकार को भंग करना पड़ा। दूसरे सदन का रिकॉर्ड है, वहां पर विपक्ष के नेता गुरुपदस्वामी जी माननीय दण्डवते जी की पार्टी के नेता हैं उनके वक्तव्य को उठाकर पढ़ लीजिए कि मैंने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा। मैं ऐसी बात नहीं कहता हूं कि जो एक जगह पर एक हो और दूसरी जगह पर दूसरी हो। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, इस सदन में भी हमारा समर्थन कर रही थी। मैं यह नहीं

कहता कि उस पार्टी की मैं कोई बात नहीं मान सकता, लेकिन हर बात मानने के पीछे कोई मर्यादा होती है, उस मर्यादा का उल्लंघन करके किसी की कोई बात मानने के लिए मैं विवश नहीं हूं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की मर्यादा ऐसी है जिस मर्यादा को ध्यान में रखकर कई बार समझौते करने पड़ते हैं। पिछले दो-तीन दिन में जो हुआ इसी सदन में, इसी सदन में ही नहीं, दूसरे सदन में भी जो हुआ, आडवाणी जी ने कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। इससे अशोभनीय और दु:खद बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन उन बातों को मैं चुपचाप सुनता रहा और उसका एक ही कारण था कि अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में चर्चा हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि इस चर्चा को बीच में रोककर कोई बात कहूं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि न मैं कोई तालमेल बैठा रहा था और न मैं सुलह-समझौता कर रहा था। मैं अपनी बात जानता हूं कि मुझे कहां जाना है। मैं जानता हूं कि किस समय क्या कदम उठाने हैं। अगर सहयोग मिलता है तो स्वागत। अगर सहयोग नहीं मिलता है तो उनकी मरजी क्योंकि वे हमारे अधिकार में नहीं हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सोचना जरूर चाहिए कांग्रेस पार्टी को। दो कांस्टेबल चले गए, इसके लिए भारत के संविधान को खतरे में डाल देना, इस संसद को इस हालत में पहुंचा देना, इसलिए जैसी जिसकी बुद्धि होगी वैसे ही इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता था। बुद्धि के अनुरूप सभी लोग अपना काम करेंगे। उधर से भी कुछ लोग कहते हैं कठपुतली है तो भी अपनी बुद्धि के अनुसार बोलते हैं। कठपुतली को कठपुतली ही दिखाई पड़ेगीं। वे नहीं जानते हैं कि कभी-कभी छोटा हनुमान लंका का दहन कर देता है हनुमान छोटा होकर के भी इसलिए यह गलतफहमियां निकाल दीजिए। सवाल व्यक्तियों का नहीं है। सवाल व्यक्तियों के विश्लेषण का नहीं है। सवाल देश की परिस्थितियों और देश की समस्याओं का है इन समस्याओं पर हमें और आपको आज नहीं तो कल मिलकर देखना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं विरोधी पक्ष के सभी नेताओं को, जिन्होंने कहा है कि संवैधानिक संकट को समाप्त करने के लिए वे सहयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि सहयोग से कोई रास्ता निकलेगा। मुझे विश्वास है कि इस संकट को मिटाने में आप सबका सहयोग मिलेगा। मैं एक बात नम्र शब्दों में कहना चाहता हूं। यह सही है कि राजनीतिक वास्तविकता है और संसदीय राजनीतिक वास्तविकता गणित की वास्तविकता है जिसमें अंक गणित को बदला नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस पार्टी यहां मौजूद नहीं है, वे पता नहीं है मैं जानता नहीं कि उनका समर्थन हैं या नहीं। लेकिन आज उनका जो आचरण है, मैं विचार के बारे में नहीं बल्कि आचरण के बारे में कह रहा हूं कि आचरण पर रहकर के मैं इस सरकार को नहीं चला सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अभी राष्ट्रपति महोदय के पास जाकर के इस सरकार का त्याग पत्र देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके बाद इस सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए। यह राष्ट्रपति महोदय पर निर्भर करता हैं कि वे क्या निर्णय लेंगे। मैंने अपने सहयोगियों से सलाह ली है और हम इस निर्णय पर कल ही पहुंचे थे कि इस सदन को चलाने की कोई मान्यता, कोई आवश्यकता नहीं। मेरा निर्णय है कि सरकार इस्तीफा दे रही है। मैं आपसे कहता हूं कि सदन की परम्पराओं के अनुसार मेरे त्याग-पत्र की इस घोषणा के बाद इस सदन की कार्यवाही एक मिनट नहीं चल सकती। यह सदन स्थगित करने का मैं आपसे औपचारिक रूप से अनुरोध करता हूं कि सरकार जब नहीं है तो सदन नहीं चल सकता। मैं अभी जाकर के राष्ट्रपति महोदय को त्यागपत्र देता हूं और अपने मित्रों को विश्वास दिलाता हूं कि कोई दांव-पेच की राजनीति इधर से नहीं होगी, उधर से न हो तो ज्यादा अच्छा है। हम सब मिलकर स्पष्ट राजनीति की ओर आगे बढ़े, यहीं मेरी कामना है।

पश्च टिप्पण

VI. **देश में संवैधानिक संकट, 6 मार्च, 1991**

1. **श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर)**: यह बात नहीं कही थी।

प्रो. मधु दण्डवते : मैंने जब तमिलनाडु का सवाल उठाया आपने निश्चित तरीके से आश्वासन दिया था कि मैं तमिलनाडु की सरकार को भंग नहीं करना चाहता हूं यह आपने स्पष्ट कर दिया था, अब आप चाहें तो बदल सकते हैं।

श्री चन्द्रशेखर : मैंने यह नहीं कहा कि नहीं करूंगा, मैंने कहा कि भंग करने के लिए पहले सौ बार सोचूंगा, इतनी बुद्धि हमारी है। फर्क यह पड़ता है कि मुझे भंग करना पड़ा इसलिए मैंने भंग की।

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : कांग्रेस ने जो आपसे कहा वह आपने किया।